मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश
कार्यालय ज्ञाप

संख्या–डीजी–चार /2018 दिनांकः दिसम्बर , 2018

विषयः उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (सीधी भर्ती)प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण।

उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (सीधी भर्ती) के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण तत्समय प्रचलित नियमावली एवं नियमों के अन्तर्गत प्रदान किया जाएगा।

2.सामान्य

(क). उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओ के प्रशिक्षण केन्द्र में आगमन के पूर्व ही एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जायेगी। इसमें एक पुलिस कर्मी की नियुक्ति की जायेगी, जो प्रशिक्षुओ को निर्धारित आवास, भोजनालय एवं आमद कार्यालय की जानकारी देगा। संभावित आगमन की तिथि से पूर्व ही हॉस्टल आवंटन सूची तथा अनन्तिम टोली गठन की सूची तैयार कर ली जाये। इसकी एक प्रति स्वागत कक्ष में रखी जाये ताकि तद्नुसार आगन्तुकों को निर्देशित किया जा सके।

(ख) आगमन के पश्चात प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों के नामिनल रोल फार्म भरवायें जायेगें, जिस पर एक नवीनतम फोटो भी लगवाया जायेगा।

(ग) समस्त प्रशिक्षुओ के आगमन के प्रथम सप्ताह में जीरो परेड करायी जायेगी, जिसमें संस्थान परिसर की पूर्ण जानकारी करायी जायेगी। परिसर का भ्रमण भी टोली प्रभारी के मार्गदर्शन में कराया जायेगा।

(घ) प्रशिक्षण के प्रारम्भ में ''जीरो वीक'' आयोजित किया जायेगा। इस सत्र में प्रशिक्षुओं के साथ Ice Breaking Exercise का आयोजन किया जायेगा।''जीरो वीक'' की अवधि में प्रशिक्षुओं को गहन प्रशिक्षण न देकर पुलिस विभाग के परिवेश से परिचित कराया जायेगा, जिसमें मुख्य रूप से वर्दी का रख–रखाव तथा उसका पहनना, वर्दी तथा सादे कपड़ों में अधिकारियों का अभिवादन करना, सावधान एवं विश्राम बनाना, विभिन्न पद के पुलिस अधिकारियों के पद चिन्हों का ज्ञान, परेड ग्राउण्ड, गणना स्थल, भोजनालय एवं बैरक आवास के अनुशासन का ज्ञान कराया जायेगा।

3. आवास

सभी प्रशिक्षुओं को संस्था प्रमुख द्वारा निर्दिष्ट आवासों में ही रहना होगा। किसी प्रशिक्षु को निर्धारित छात्रावास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर निवास की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. भोजन व्यवस्था

भोजन करते समय भोजनालय में निर्धारित पोशाक ही पहनी जायेगी। भोजनालय में निर्धारित स्थान पर भोजन किया जायेगा। भोजनालय से भोजन ले जाकर छात्रावास में या अन्यत्र भोजन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5.विशेष सेवाओं के लिए कटौती

प्रशिक्षण केन्द्र प्रमुख द्वारा संस्था कटिंग के रूप में जो भी जनशक्ति अथवा सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी, वे लाभ/हॉनि रहित (No Profit No Loss) होंगी, वे सुविधाएं जिनका भुगतान सामूहिक रूप से किया जाना है, इस हेतु गठित संयुक्त समिति जिसमें प्रशिक्षु उपनिरीक्षक भी सम्मिलित होंगे, के द्वारा निर्धारित कर उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण के अन्त में कटौती की शेष धनराशि प्राप्त अंश के अनुपात में उसी बैच के प्रशिक्षुओं में वितरित कर दी जायेगी।

6. दिवसाधिकारी

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रतिदिन बाह्य विषय का एक प्रशिक्षक दिवसाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा, जिसके कर्तव्य निम्न होगें–

(1) प्रशिक्षुओ से भोजन के समय भोजन व्यवस्था में दिये गये निर्देशों का पालन कराना।
(2) विद्यालय के समय प्रशिक्षुओ को एकत्रित कर गणना उपरान्त अन्तःकक्षाओं में पहुँचाना।
(3) प्रतिदिन प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन एवं व्यवस्था बनाये रखना।
(4) बीमारी/दुर्घटना इत्यादि की स्थिति में तत्काल चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना।
(5) समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।

7. पुस्तकालय एवं वाचनालय

प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था पर एक पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक पुस्तकों के अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में समाचार पत्र, पत्रिकाओं की व्यवस्था होगी।

8. मॉडल पुलिस स्टेशन

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर एक मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जायेगा, जिसमें पुलिस थाने में प्रयोग में आने वाले सभी रजिस्टर, फार्म, अन्य विवरण अभिलेख एवं उपकरण रखे जायेंगे। जहॉ मॉडल थाने का भवन अभी नहीं बना है, वहाँ किसी भवन में अस्थायी रूप से मॉडल थाना बनाकर प्रशिक्षण कराया जाय। इस मॉडल थाने में थाने के सभी अभिलेख एवं अन्य सुविधायें सृजित की जायें।

9. मनोरंजन

प्रशिक्षुओ के मनोरंजन के लिए मनोरंजन गृह में टेलीविजन एवं इण्डोर गेम्स जैसे–कैरमबोर्ड, चेस इत्यादि की व्यवस्था होगी तथा मनोरंजन हेतु कोई अंशदान प्रशिक्षुओं से नहीं लिया जायेगा।

10. सूचना पट्ट

प्रत्येक छात्रावास में तथा प्रशिक्षण केन्द्र में उपयुक्त स्थान पर एक सूचना पट्ट की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें प्रशिक्षुओ से संबंधित सूचनायें तथा समय–समय पर आवश्यक आदेश–निर्देश चस्पा किये जायेंगे।

11. सुझाव एवं शिकायत पेटिका

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में छात्रावास के निकट एक सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका रखी जायेगी। इसकी चाभी एक राजपत्रित अधिकारी के पास रहेगी। वे इसे प्रतिदिन खोलेंगे तथा प्राप्त सुझाव/शिकायतों पर सम्यक् स्तर से वांछित कार्यवाही करायेंगे।

12. मासिक सम्मेलन

प्रत्येक माह संस्था प्रभारी द्वारा प्रशिक्षुओं का मासिक सम्मेलन आयोजित किया जायेगा, जिसमें प्रशिक्षुओं के कल्याण संबंधी वार्ता होगी एवं प्रशिक्षुओं से सुझाव/शिकायतों की जानकारी कर निदान किया जायेगा।

13. परिधान

प्रत्येक प्रशिक्षु को मौसम के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित वर्दी पहननी होगी। ड्रिल प्रशिक्षण हेतु सूती खाकी वर्दी धारण करेंगे।

14. खेलकूद

प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि में समय–समय पर निर्धारित खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी खेलकूद के लिए बॉलीबाल, फुटबॉल तथा तैराकी आदि की व्यवस्था करेंगे।

15. अवकाशः–

(1) आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि में किसी भी प्रशिक्षणार्थी को सामान्य रूप से कोई अवकाश नहीं दिया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में संस्था प्रभारी द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को अधिकतम 10 दिवस आकस्मिक अवकाश देय होगा।

(2) चिकित्सीय/स्वास्थ्य कारणों से दिये गये अवकाश को प्रशिक्षण से कुल अनुपस्थिति में माना जायेगा।

(3) यदि कोई प्रशिक्षु प्रशिक्षण काल की अवधि में अनावश्यक या अनुचित रूप से अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण केन्द्र से अनुपस्थित होगा या अवकाश पर जाने पर बिना उचित या अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा अथवा झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे प्रशिक्षु के विरूद्ध पी0टी0सी0 मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) पूरे प्रशिक्षण काल में 45 दिवस से अधिक किसी भी कारणवश अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थी को अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ऐसे प्रशिक्षु की परीक्षा तीन माह के पूरक प्रशिक्षण के उपरान्त आयोजित परीक्षा के समय ली जायेगी। किसी भी कारण से यदि किसी प्रशिक्षु की प्रशिक्षण से अनुपस्थित अवधि 90 दिवस से अधिक होती है तो प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उस प्रशिक्षु को उसी समय प्रशिक्षण से वापस कर देंगे, जिसे अगले प्रशिक्षण सत्र में शामिल किया जायेगा।

16. महिला प्रशिक्षु द्वारा गर्भ धारण

(1) आगमन के समय प्रत्येक महिला प्रशिक्षु इस बात का घोषणा पत्र देगी कि वह गर्भवती नहीं है तथा यदि प्रशिक्षण के दौरान गर्भवती होती है तो उसको तत्काल प्रशिक्षण से वापस कर दिया जायेगा।

(2) यदि किसी महिला को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक वर्ष के अन्दर प्रसव हुआ है तो प्रशिक्षण में शामिल होने के पूर्व उसे अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रशिक्षण हेतु फिट होने का प्रमाणपत्र देना होगा। राज्य से बाहर की निवासी महिला को यह प्रमाणपत्र संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के जनपद में स्थित मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त करना होगा।

(3) ऐसी गर्भवती महिलाओं को शेष प्रशिक्षण उनके प्रसूति की तिथि के एक वर्ष बाद आगामी प्रशिक्षण सत्र के साथ कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रशिक्षण उसी स्तर से पुनः आरम्भ होगा जहॉ से छोड़ा गया था।

17. श्रमदान एवं वृक्षारोपण

पुलिस विभाग में श्रमदान की एक दीर्घकालीन सुस्थापित परम्परा है। यह टीम भावना तथा संस्था/इकाई से लगाव/अपनत्व बढ़ाने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। प्रशिक्षुओ से श्रमदान एवं वृक्षारोपण का कार्य केवल बृहस्पतिवार एवं रविवार को पूर्वान्ह में ही कराया जायेगा, जिसमें उनसे परेड ग्राउण्ड, बैरक एरिया, क्वार्टर गार्द, गार्डन आदि की सफाई व रख–रखाव का कार्य कराया जा सकेगा। कार्य दिवसों में बाह्य एवं अंतः विषयों के कालांशो में कोई श्रमदान एवं वृक्षारोपण नहीं कराया जायेगा।

18. पुरस्कार

प्रशिक्षण की समाप्ति पर निम्नवत पुरस्कार दिये जायेंगे–

(1) आन्तरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण के प्रत्येक विषय में प्रथम स्थान पाने वाले प्रशिक्षुओं को प्रमाण–पत्र।

(2) आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण के सभी विषयों के प्राप्तांकों के योग में प्रथम आने वाले प्रशिक्षुओं को पदक एवं प्रमाण–पत्र।

(3) सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षु को मानद किर्च (तलवार) Sword of Honour एवं प्रमाण–पत्र।

(4) सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षु के चयन के लिए प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रदत्त साक्षात्कार के अंकों को भी जोड़ा जाएगा।

(5) प्रशिक्षण में विशेष अभिरूचि रखने वाले उत्कृष्ट अन्तःकक्षीय एवं बाह्य कक्षीय प्रशिक्षक (आई.टी.आई./पी.टी.आई.) को भी संस्था के प्रभारी द्वारा अलग से पुरस्कृत किया जायेगा। मानद प्रशिक्षक पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे।

19. संस्था प्रमुख प्रत्येक माह प्रशिक्षुओं से सीधा संवाद करेंगे तथा किसी भी सम्बन्धित समस्या अथवा कठिनाई के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

20. प्रशिक्षण कार्यक्रम की कालाँश गणना

प्रशिक्षण की अवधि	365 दिन (12माह)
रविवार एवं अवकाश की संख्या	88 दिन
'' जीरो वीक '' की अवधि	03 दिन
परीक्षा एवं दीक्षान्त परेड के अभ्यास के लिये निर्धारित अवधि	37 दिन
प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध कुल दिन	237 दिन
कालाँश–प्रतिदिन (अन्तः विषय 06 कालांश, बाह्य विषय 06 कालांश)	12 कालाँश
एक कालाँश की अवधि	40 मिनट
कुल कालाँशों की संख्या	2844 कालाँश

21. सम्पूर्ण प्रशिक्षण के कालांश एवं अंकों का विवरण

विषय		कालाँश	अंक
अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण	1410 कालांश	1623	1500
संवेदीकरण मॉड्यूल	213 कालांश		
बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण		1221	900
संस्था प्रमुख का आंकलन		–	100
कुल योग		**2844**	**2500**

22. अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण, मध्यावधि एवं अन्तिम परीक्षा के अंकों का विवरण

अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण की परीक्षा दो भागों में अर्थात मध्यावधि एवं अन्तिम परीक्षा होगी। मध्यावधि परीक्षा 600 अंकों एवं अन्तिम परीक्षा 900 अंकों की होगी। मध्यावधि परीक्षा संस्था प्रमुख द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति के अनुमोदन के उपरान्त कराई जायेगी। अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण की परीक्षा एवं अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा।

प्रश्न पत्र	विषय	कालाँश	मध्यावधि परीक्षा के अंक	अन्तिम परीक्षा के अंक		योग अंक अन्तिम परीक्षा	सम्पूर्ण अंक योग
				सैद्धांतिक	प्रयोगात्मक		
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रथम	आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन एवं पुलिस कार्य पद्धति	120	50	75	–	75	125
द्वितीय	भारतीय दण्ड संहिता	120	50	75	–	75	125
तृतीय	दण्ड प्रक्रिया संहिता	100	50	75	–	75	125
चतुर्थ	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संविधान एवं मानवाधिकार	100	50	75	–	75	125
पंचम्	स्थानीय एवं विशेष अधिनियम	120	50	50	25	75	125
षष्टम्	पुलिस रेगुलेशन	100	50	75	–	75	125

सप्तम्	सामान्य, जघन्य एवं विशेष अपराधों की विवेचना	120	50	50	25	75	125
अष्टम्	अपराध शास्त्र, पुलिस मनोवृत्ति एवं नेतृत्व कौशल	100	50	75	—	75	125
नवम्	विधि विज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र	120	50	50	25	75	125
दशम्	थाना प्रबन्धन, अपराध नियंत्रण एवं शान्ति व्यवस्था	150	50	50	25	75	125
एकादश	कम्प्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम	160	50	50	25	75	125
द्वादश	पुलिस की छवि, व्यवहार एवं संवाद कौशल	100	50	75	—	75	125
योग		**1410**	**600**	**775**	**125**	**900**	**1500**

नोट—पश्नपत्र बनाते समय जितना पाठ्यक्रम मध्यावधि परीक्षा में कवर हो जायेगा, उसे अन्तिम परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।

23. बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के कालांशों/अंकों का विवरण

बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण की परीक्षा के कालांशों एवं अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा।

प्रश्नपत्र	विषय	कालांश	अंक
प्रथम	शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण (पी0ई0टी0)	150	150
द्वितीय	कवायद (ड्रिल)/पदाति प्रशिक्षण	150	150
तृतीय	शस्त्र प्रशिक्षण—रात्रि फायरिंग सहित	150	150
चतुर्थ	फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिक्स, मैप रीडिंग,रूट मार्च व जंगल ट्रेनिंग	281	150
पंचम्	यू0ए0सी0	50	50
षष्टम्	योगासन	90	50
सप्तम्	ड्राइविंग	50	50
अष्टम्	तैराकी	60	40
नवम्	घुड़सवारी	60	40
दशम्	बाधा कोर्स	50	25
एकादश	विस्फोटकों का ज्ञान	30	25
द्वादश	वन मिनट ड्रिल	20	20
—	खेलकूद/जिम	80	00
योग		**1221**	**900**

नोट— बाह्य विषयों की परीक्षाएं संस्था प्रमुख अपने स्तर से किसी अन्य संस्था/इकाई के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा करायेंगे।

24.संवेदीकरण मोड्यूल (Sensitization Module)

क0सं0	विषय	कालांश
1	पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 कार्यालय का भ्रमण	8
2	मुख्यालय यूपी 100 का भ्रमण	8
3	मुख्यालय 1090 का भ्रमण	8
4	मुख्यालय एसटीएफ का भ्रमण	8
5	मुख्यालय एटीएस का भ्रमण	8
6	मुख्यालय एसडीआरएफ का भ्रमण	8
7	मुख्यालय सर्तकता अधिष्ठान/भ्रष्टाचार निवारण संगठन का भ्रमण	8

8	एफएसएल का भ्रमण	8
9	एसपी/डीएम कार्यालय का भ्रमण	8
10	जिला नियंत्रण कक्ष का भ्रमण	8
11	पुलिस लाइन/यातायात लाइन का भ्रमण	8
12	थाने का भ्रमण	8
13	न्यायालय का भ्रमण	8
14	अभियोजन कार्यालय का भ्रमण	8
15	जेल का भ्रमण	8
16	चिकित्सालय/शव विच्छेदनग्रह का भ्रमण	8
17	वृद्धाआश्रम/महिला संरक्षण गृह का भ्रमण	8
18	बालगृह/किशोर संरक्षण गृह का भ्रमण	8
19	जीआरपी का भ्रमण	8
20	अभिसूचना संकलन एवं प्रयोग	8
21	सामुदायिक पुलिसिंग	8
22	इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों का स्वयं द्वारा संकलन किया जाना	8
23	नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरों की वर्कशाप	8
24	पूँछतॉछ की विधियॉ	8
25	जेण्डर संवेदीकरण	5
26	स्वास्थ्य एवं पोषण/नेचुरोपैथी	8
27	उप निरीक्षक–फर्स्ट रिस्पाण्डर (यूपी100 द्वारा)	8
	योग	213

25. व्यावहारिक प्रशिक्षण

संस्था में आधारभूत प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षु जनपदों में 12 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सभी प्रशिक्षु व्यवहारिक प्रशिक्षण पंजिका बनायेंगे जिसमें दिनाँक सहित प्रतिदिन के प्रशिक्षण का विवरण अंकित करेंगे। व्यावहारिक प्रशिक्षण की समय–सारिणी तथा विषय वस्तु परिशिष्ट–3 में दी गयी है। जनपदीय पुलिस अधीक्षक इन प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन साक्षात्कार के माध्यम से माह में एक बार करेंगे और इसकी टिप्पणी उनकी व्यावहारिक प्रशिक्षण पंजिका में करेंगे। व्यावहारिक प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक द्वारा प्रशिक्षुओं का साक्षात्कार लिया जायेगा। जो प्रशिक्षु व्यावहारिक रूप से उपनिरीक्षक के पद का दायित्व संभालने हेतु उपयुक्त पाये जायें उन्हें एक उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा। इसकी एक प्रति उनकी चरित्र पंजिका में चस्पा की जायेगी। अनुपयुक्त पाये गये प्रशिक्षुओं की परीवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाये तथा 03 माह बाद पुनः उनकी उपयुक्तता देखी जाये। उपयुक्त पाये जाने पर ही उन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान की जाये। अनुपयुक्त पाये गये प्रशिक्षुओं के सम्बन्ध में पी0टी0सी0 मैनुअल के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। ''व्यावहारिक प्रशिक्षण'' कर रहे प्रशिक्षुओं से रूटीन कार्य न लिया जाये। पर्यवेक्षण अधिकारी इन्हें अधिकाधिक सुयोग्य बनाने पर ध्यान दें।

26. परीक्षा का संक्षेप

1– उ0प्र0 पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा केन्द्रीय रूप से मध्यावधि एवं अन्तिम परीक्षा आयोजित कराई जायेगी। अन्तः कक्षीय विषयों की मध्यावधि एवं अन्तिम परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा निबन्धात्मक (Essay Type) प्रकार की होगी। प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा परीक्षा के सम्पादन हेतु एक परीक्षा समिति गठित की जायेगी।

2– प्रशिक्षण के छठवें माह में मध्यावधि एवं बारहवे माह में अन्तिम परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसका संक्षेप में निर्धारण पूर्व में किया गया है। मध्यावधि परीक्षा में जितने पाठ्यक्रम में से प्रश्न पूछे जायेंगे उस पाठ्यक्रम में से अन्तिम परीक्षा में प्रश्न न पूछे जायें। मध्यावधि परीक्षा तक सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का न्यूनतम 50 प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाये।

3—(अ) उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः एवं बाह्य विषयों के प्रत्येक प्रश्नपत्र में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

(ब) परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं का पूरक प्रशिक्षण एवं परीक्षा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप करायी जायेगी। पूरक प्रशिक्षण/परीक्षा उन्हीं विषयों की कराई जायेगी जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहें हों।

(स) किसी भी विषय की परीक्षा में नकल करते हुये पकड़े जाने पर प्रशिक्षु की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त मानी जाएगी और पी0टी0सी0 मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के उपरान्त यदि उसे सेवा में रखा जाना है तो उसका पूरक प्रशिक्षण कम से कम 3 माह का कराया जायेगा तथा प्रशिक्षण के उपरान्त सभी विषयों की परीक्षा पुनः संपादित कराई जायेगी।

4— व्यक्तित्व परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिये निर्धारित 100 अंक संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, आचरण, गम्भीरता एवं रूचि को ध्यान में रखते हुये निम्नवत दिये जायेंगे—

क0सं0	विषय	अंक
1	नेतृत्व क्षमता	10
2	खेदकूद	10
3	सांस्कृतिक अभिरूचि	10
5	कक्षा मानीटर	10
5	टोली कमाण्डर/मेस प्रबन्धक	10
6	व्यक्तित्व परीक्षण एवं साक्षात्कार	50
	योग	**100**

5—निम्नलिखित प्रकार की अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर उक्त अंकों में से ऋणात्मक अंक कम किए जायेंगे—

1—विलम्ब से आगमन, अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश, सिक, रेस्ट, अस्पताल दाखिल 1/2 अंक प्रतिदिन की दर से अधिकतम —20 अंक

2—गम्भीर अनुशासनहीनता —20 अंक

3—प्रत्येक आदेश कक्ष (ओ0आर0) में दण्ड —05 अंक

4—प्रत्येक डिफाल्टर/चेतावनी —02 अंक

6—पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0 अन्तिम परीक्षा के उपरान्त यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त समय पर 03 माह अवधि का एक पूरक प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

27. सामान्य निर्देश

1. प्रशिक्षुओं के आत्म सम्मान को चोट न पहुँचने पाये। उन्हें स्वयं अपना तथा दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाये। आवश्यक है कि उनमें हीन भावना न पनपने पाये और यदि पूर्व से ऐसी भावना हो तो उसे निकाला जाये। एक आत्म सम्मान वाला उपनिरीक्षक ही नागरिकों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करने में सक्षम होगा।
2. प्रशिक्षुओं में अपने कृत्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का साहस पैदा किया जाये। हानि की कीमत पर भी असत्य का सहारा न लेने की भावना जागृत की जाये।
3. प्रशिक्षुओं के अन्दर प्रजातान्त्रिक मूल्यों, समता, बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना जागृत करना प्रशिक्षकों का प्रमुख दायित्व है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाये कि अशिष्ट/उद्दण्ड व्यवहार करने वाले या सामान्य तथा सभ्य समाज में अस्वीकार्य भाषा एवं आचरण का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को भी बिना उत्तेजित हुये शिष्ट शब्दों से वार्ता करके शान्त करने का कौशल उनमें आ जाये।
4. प्रशिक्षुओं को जनता के व्यक्तियों से सम्मानजनक व्यवहार का बोध एवं अभ्यास कराया जाये, चाहे वह व्यक्ति पीड़ित हो अथवा अभियुक्त हो अथवा घायल हो अथवा बन्दी हो। जिन व्यक्तियों के

ऊपर बल प्रयोग किया जाये, उनके साथ भी शिष्ट एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाये। घायलों/शवों को उठाते/परिवहन करते समय व्यक्ति की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाये।

5. अपनी गलती होने पर क्षमा प्रार्थना करना/खेद व्यक्त करना आवश्यक है। नागरिकों को असुविधा होने पर भी क्षमा मांगना उच्चकोटि के शिष्टाचार का द्योतक है। भले ही हमारी कोई गलती न हो। उदाहरणार्थ–तलाशी लेने से पूर्व या गिरफ्तारी करते समय **"क्षमा करियेगा/माफ करियेगा"** इत्यादि सम्बोधन उचित है। नागरिकों को उनके द्वारा दिये गये किसी भी सहयोग के लिये धन्यवाद अवश्य दिया जाना चाहिये। इसका बोध तथा अभ्यास प्रशिक्षुओं को कराया जाये।
6. प्रशिक्षक प्रत्येक कालांश के लिए उच्चकोटि (प्रमाणित) पुस्तक से पाठ (Lession plan) पहले ही तैयार कर लेंगे। जो भी प्रशिक्षक अथवा अतिथि प्रवक्ता कोई भी कक्षा लेंगे, उसके पूर्व, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसका एक सारांश बनाकर इण्डोर प्रभारी को पहले ही उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम के अनुसार ही चले तथा प्रत्येक कालांश में क्या पढ़ाया जाना है, वह विषय अवश्य पढ़ा दिया जाए।
7. प्रशिक्षणार्थी को व्यवहारिक ज्ञान, सुरक्षा ड्यूटी, घटनास्थल निरीक्षण, विवेचना आदि कराने से पूर्व मौलिक सिद्धांत समझाए जायें।
8. ऐसे समस्त प्रयोगात्मक अभ्यास, जिनमें प्रशिक्षु द्वारा कृत कार्यवाही, हरकत, भाव भंगिमा, भाषा, व्यवहारिकता इत्यादि मुख्य हैं, उनकी वीडियोग्राफी की जाये। बाद में इसे दिखाकर उनकी गलतियों को सुधारा जाये।
9. प्रशिक्षु सही वर्दी धारण करें, जिससे फुर्तीलापन प्रदर्शित हो एवं उसका रख–रखाव भी साफ–सुथरा हो।
10. प्रत्येक कालांश में प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय दें अर्थात् संदेहों को दूर करें।
11. कोई भी प्रशिक्षक/अतिथि प्रवक्ता कक्षा में न तो मोबाईल लेकर जाएंगे और न ही मोबाईल पर कोई वार्ता करेंगे। न ही किसी प्रशिक्षु को कक्षा में मोबाईल लेकर जाने की अनुमति होगी। मोबाईल को साईलेन्ट मोड पर करके रखने की अनुमति भी कतई नहीं होगी।
12. कोई भी प्रशिक्षु कक्षा में गुटखा, पान मसाला, पान इत्यादि का सेवन किसी भी दशा में नहीं करेगा।
13. कोई भी प्रशिक्षु क्लास छोड़कर, क्लास के समय किसी भी दशा में बाहर नहीं घूमेगा तथा यदि घूमता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
14. 04 माह के आधारभूत प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षुओं को कारागार का भ्रमण कराया जाय ताकि कैदियों के व्यवस्थापन एवं प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त कारागार के अधीक्षकों/पुलिस उपमहानिरीक्षकों को कारागार एवं सुधार प्रशासन तथा तत्संबंधी अधिनियम/नियम पढ़ाने हेतु आमंत्रित किया जाय ताकि वह कारागार की प्रबन्धन एवं प्रशासन व्यवस्था के संबंध में जानकारी दे सकें। इन्हें पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूचना पर्याप्त समय पूर्व दे दी जाये।
15. बाह्य कक्षीय प्रशिक्षक सिखलाई के दौरान अपनी व्यक्तिगत Body Movements द्वारा नमूना दें।
16. विभिन्न्न हरकतों को एक–एक करके प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से कराया जाय, ताकि उसको पूरा ज्ञान हो सके।
17. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की त्रुटियों को सही करें। अनावश्यक टीका–टिप्पणी न करें, जब तक कि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी उससे भिज्ञ न हो जाये कि सही क्या है, तब तक अतिरिक्त समय में विशेष कालांश में प्रशिक्षित करें।
18. फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स तथा अन्य व्यावहारिक/प्रयोगात्मक कार्य का अभ्यास गहनता से कराकर दक्षता पैदा की जाये। अभ्यास की वीडियो ग्राफी की जाये ताकि प्रशिक्षुओं को उसे दिखाकर उनकी गलतियों को सुधारा जा सके।
19. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी व्यक्तिगत सफाई, सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचार, मर्यादा और सत्यनिष्ठा का विकास करेंगे।
20. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अपने सहयोगियों, संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं अतिथियों के साथ संस्था के भीतर व संस्था के बाहर शिष्ट व्यवहार करेंगे।
21. संस्था में धूम्रपान करना सख्त मना है। हॉस्टलों में मदिरापान, नशीले पदार्थों का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित होगा।
22. प्रशिक्षणार्थी वरिष्ठ अधिकारियों से पत्र व्यवहार उचित माध्यम से ही करेंगे।
23. बाह्य प्रशिक्षण के दौरान घड़ी या अन्य आभूषण पहनना मना है।

24. बाह्य प्रशिक्षण के दौरान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संस्था प्रमुख प्रशिक्षण के समय में बदलाव कर सकते है।
25. किसी आपात स्थिति में अन्तः प्रशिक्षण के दौरान यदि प्रशिक्षणार्थी को अन्तः प्रशिक्षण भवन से बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वह संस्था प्रमुख/प्रभारी इण्डोर शाखा से अनुमति प्राप्त करेंगे।
26. प्रशिक्षण केन्द्र परिसर से बाहर बिना अनुमति के जाना वर्जित है। अवकाश के दिन सैन्य सहायक की पूर्व अनुमति से ही प्रशिक्षणार्थी अनुमति के समय के अनुसार जा सकते हैं। नगर से बाहर जाने के लिए नियमित रूप से संस्था प्रमुख से अवकाश अथवा सार्वजनिक अवकाश के दिन स्टेशन लीव लेकर ही प्रशिक्षण केन्द्र से प्रस्थान किया जाएगा।
27. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी संस्था के नियमों व संस्था के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन करेगा।

प्रशिक्षु द्वारा अनुशासन भंग करने पर, जिसमें अनधिकृत अनुपस्थिति, अनुमति के बिना प्रशिक्षण केन्द्र से बाहर जाना तथा अवज्ञा सम्मिलित है, में यथा उचित अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

28. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में संशोधन

इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ने पर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उन बिन्दुओं को पाठ्यक्रम समिति को संदर्भित करके समिति की अनुशंसा प्राप्त करेंगे। अनुशंसा पर विचारोपरांत निर्णय लेकर संशोधन हेतु प्रकरण पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को भेजा जायेगा। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के द्वारा संशोधन ज्ञापित करके निर्धारित किया जायेगा।

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश लखनऊ

प्रतिलिपि– पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को 02 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। वे कृपया सर्व सम्बन्धित अधिकारियों/कार्यालयों को इसकी प्रतियॉ अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उप निरीक्षक ना0पु0 (सीधी भर्ती) अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण की विस्तृत विषय वस्तु

प्रश्न पत्र–प्रथम

आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन एवं पुलिस कार्य पद्धति

कालांश–120 **अंक–125**

ए. आधुनिक भारत में पुलिस

1. एक कल्याणकारी राज्य में आदर्श पुलिस कार्यशैली, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के सन्दर्भ में पुलिस की परिवर्तनशील भूमिका एवं पुलिस कार्य में व्यवहारगत परिवर्तनों की आवश्यकता– बलोन्मुखता से सेवोन्मुखता में रूपान्तरण
2. पुलिस कार्यों में व्यवसायिकता
3. राज्य की अर्थ व्यवस्था एवं भूगोल
4. नागरिक प्रशासन में पुलिस की भूमिका एवं अन्य विभागों–जैसे चिकित्सा विभाग, जेल विभाग, शिक्षा विभाग, तहसील, ब्लॉक डेवलपमेन्ट अधिकारी, टेलीफोन, बिजली विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, कस्टम एवं नारकोटिक्स विभाग, नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड, सेना पुलिस व इन्कम टैक्स विभाग आदि के साथ सम्बन्ध एवं उपयोगिता ।
5. पुलिस की भूमिका–सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक एवं राष्ट्रीय एकता अखण्डता के क्षेत्र में।
   - आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस की भूमिका
   - विध्वंसकारी ताकतों से राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को चुनौतियॉ–साम्प्रदायिता, रूढ़िवादिता, अतिवाद व आतंकवाद तथा चुनौतियों से मुकाबले में पुलिस की भूमिका, जम्मू एण्ड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, क्रासबॉर्डर टेरोरिज्म
   - सामाजिक–आर्थिक समस्यायें और पुलिस की भूमिका
   - किसानों, छात्रों व श्रमिकों के आन्दोलन और पुलिस की भूमिका
   - राजनैतिक दल–क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय
6. कम्यूनिटी पुलिसिंग की अवधारणा/पुलिस और जनता में साझेदारी/सार्वजनिक दोस्ताना और स्मार्ट पुलिसिंग
   - पुलिस का जनता, जनप्रतिनिधियों के साथ संबंध
   - पुलिस का स्वयंसेवी संस्थाओं से संबंध
7. पुलिस का महिलाओं के साथ व्यवहार

- **इस प्रश्नपत्र के अन्तर्गत पढ़ाये जाने वाले विषयों का फोकस राज्य केन्द्रित होना चाहिये। राज्य के विभिन्न भागों से आने वाले प्रशिक्षु राज्य में पुलिस के सम्मुख प्रचलित सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं कानून व्यवस्था के मुद्दों को समझने में समर्थ होने चाहिए।**

बी. पुलिस संगठन एवं प्रशासन

1. भारत में पुलिस का उद्भव, विकास एवं इतिहास
2. केन्द्रीय पुलिस संगठन एवं संस्थानः–

1– आई.बी.	2– सी.बी.आई.
3– बी.पी.आर.एण्ड.डी.	4– सी.आर.पी.एफ. एवं आर.ए.एफ.
5– बी.एस.एफ.	6– आर.पी.एफ.
7– सी.आई.एस.एफ.	8– एन.पी.ए.
9– एन.आई.सी.एफ.एस.	10–एन.सी.आर.बी.
11– एन.आई.ए.	12–एस.एस.बी.

13– रॉ (आर0ए0डब्लू0)
14–आर.पी.एस.एफ.
15– एस.एस.बी.
16–एन.एस.जी.
17– प्रवर्तन निदेशालय
18–एस.पी.जी.
19– आई.टी.बी.पी.
20– संदिग्ध अभिलेखो के सरकारी परीक्षण के कार्यालय–शिमला, कोलकता, हैदराबाद।
21– सेन्ट्रल फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो, नई दिल्ली
22– सेन्ट्रल फोरेसिंक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली, कोलकाता ,हैदराबाद
23– एन.डी.आर.एफ.

3. इंडियन आर्म्ड फोर्सेज– मिलिट्री सब ऐरिया, टैरीटोयिल आर्मी एवं एनसीसी
4. राज्य पुलिस संगठनः–(राज्य स्तर, जोन, परिक्षेत्र स्तर, जनपद स्तर, यातायात पुलिस, उप सम्भाग स्तर/क्षेत्र स्तर, पुलिस थाना स्तर), अन्य ईकाईयाँ एस.टी.एफ., ए.टी.एस., महिला हेल्प लाईन, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, स्पेशल ब्रॉच, अभियोजन शाखा, एससीआरबी/फिंगर प्रिन्टस ब्यूरो, सी.आई.डी., क्राइम ब्रान्च रेलवे पुलिस, पुलिस दूरसंचार, यातायात पुलिस निदेशालय, स्टेट फोरेसिंक साइंस लेबोरेटरी, सशस्त्र पुलिस, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, विशेष पुलिस अधिकारी, भारतीय रिजर्ब बटालियन (आई.आर.बी.), पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस मुख्यालय, राज्य सतर्कता ब्यूरो, अग्निशमन सेवायें आदि।
5. जनपद पुलिस की विभिन्न शाखाओं के कार्य–पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन्स, जनपद यातायात शाखा, मानव तस्करी विरोधी इकाई, दूरसंचार इकाई आदि।
6. जनपद स्तर पर स्थानीय अभिसूचना ईकाई (एल0आई0यू0)
7. केन्द्रीय सरकार का प्रशासनिक ढांचा
8. राज्य सरकार का प्रशासनिक ढांचा, गृह विभाग
9. स्थानीय स्व–शासन (नगरीय एवं ग्रामीण)
10. जनपद एवं उप सम्भागीय प्रशासनिक ढांचा
11. जनपदीय न्यायालय, अभियोजन शाखा एवं स्वास्थ्य विभाग का संगठन
12. पुलिस, आर्मी, नेवी एवं वायु सेना के पद एवं पद चिह्न
13. गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

- **प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षु को सरकार के प्रशासनिक ढांचे एवं पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।**

सी–वित्तीय नियम

1. वेतन तथा यात्रा भत्ता/पुलिस सैलरी पेकेज संबंधी सामान्य नियम
2. सेवा निवृत्ति/मृत्यु होने पर अनुमन्य विभिन्न लाभ तथा राजकीय कर्मचारी कल्याण योजनायें
3. सेवाकाल में कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाले विभिन्न लाभ
4. आंकिक शाखा के कार्य एवं उसके अभिलेख (वेतन पत्र, जी0पी0एफ0 बीमा से संबंधित)
5. स्थायी अग्रिम
6. थानों को बजट आवंटन एवं उसका प्रबंधन
7. नये मूल निर्माण कार्य योजना एवं पर्यवेक्षण
8. अनुरक्षण
9. क्रय नियमों की सामान्य जानकारी व तद्विषयक अभिलेख/GEM Portal/ E- Tendering
10. पुलिस जनों के कल्याण की विशेष व्यवस्थायें–राज्य सुख सुविधा फण्ड, कल्याण निधि, छात्रवृति, साइकिल, मोटर साइकिल एवं भवन निर्माण के लिये अग्रिम धन प्राप्त करने के नियम
11. PRAN (परमानेंट रिर्टायमेन्ट एकाउन्ट नम्बर)

डी–अधिष्ठान

1. पत्राचार शाखा
2. उ0प्र0 पुलिस अधीनस्थ श्रेणी अधिकारी एवं कर्मचारी (दंड एवं अपील) नियमावली–1991 व आचरण नियमावली (महत्वपूर्ण प्रस्तर)
3. उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2015
4. रैंक और बैज, साज–सज्जा
5. वर्दी पहनने के नियम (ड्रैस रेगुलेशन)

6. सेवानिवृत्ति–अधिवर्षता, स्वैच्छिक अनिवार्य, शारीरिक अक्षमता के समय मिलने वाली सुविधायें
7. परिवाद
8. पदक एवं अलंकरण के प्रकार
9. आवासीय सुविधायें (पदवार)
10. चिकित्सीय सुविधा, अवकाश, नियम, अनुमन्य विभिन्न प्रकार के अवकाश
11. सेवाकाल में कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाले विभिन्न लाभ एवं असाधारण पेंशन के नियम
12. सेवा अभिलेख–चरित्र पंजिका, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावली

प्रश्न पत्र–द्वितीय
भारतीय दण्ड संहिता

कालांश–120 **अंक–125**

अध्याय 1–प्रस्तावना एवं अपराध की अवधारणा धारा 1 से 5
अध्याय 2–सामान्य व्याख्यायें धारा 10, 21 से 30, 34, 35, 38, 39, 44, 52, 52ए
अध्याय 3–दण्ड धारा 53, 75
अध्याय 4–साधारण अपवाद धारा 76 से 106
अध्याय 5–दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षडयन्त्र धारा 107 से 109, 111, 113, 114
अध्याय 5(क)–अपराधिक षडयन्त्र 120ए, 120बी
अध्याय 6–राज्य के विरुद्ध अपराध धारा 121 से 124, 124ए
अध्याय 7–लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध धारा 141 से 149, 151, 153ए, 153ए, 153बी, 159, 160
अध्याय 8–लोक सेवकों से सम्बन्धित अपराध धारा 166, 166क (संशोधित), 166ख, 170, 171
अध्याय 9(क)–निर्वाचन से सम्बन्धित अपराध धारा 171ए, बी, सी, डी, ई,
अध्याय 10–लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में धारा 174, 174 क, 175, 182 से 188
अध्याय 11–झूठा साक्ष्य, व्यक्तियों एवं न्याय के विरुद्ध अपराध धारा 191 से 193, 195 क, 196, 197, 198, 201, 203, 204, 211, 212, 216, 216ए, 218, 223 से 225, 227, 228, 228ए, 229ए
अध्याय 12–सिक्कों एवं सरकारी स्टाम्प से सम्बन्धित अपराध धारा 255 से 260, 263क
अध्याय 14–लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 268 से 270, 272 से 276, 277, 279,285, 289, 292, 293, 294
अध्याय 15–धर्म से सम्बन्धित अपराध धारा 295, 295क, 296, 297, 298
अध्याय 16–मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 299 से 304, 304ए–बी, 306, 307, 308, 309, 313, 315, 317 318 ,319 से 326, 326क, 326ख, 328, 330 से 333, 336 से 338, 339 से 342, 349 से,354, 354 ए,बी,सी,डी, (संशोधित) 356, 359 से 364, 364ए, 365, 366, 368, 370, 370क, (संशोधित) 375, 376, 376 ए,बी,सी, डी, ई, वर्ष 2018 का आपराधिक विधि संशोधन द्वारा नई धाराऐं 376 एबी, 376डीए, 376 डीबी, 377
अध्याय 17–सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध सम्पत्ति के न्यास भंग से सम्बन्धित अपराध छल, रिष्टि से संबंधित अपराध धारा 378 से 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 से 397, 398, 399, 401, 402, 405, 406 से 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 419, 420, 425, 429, 430, 435, 436, 441 से 460
अध्याय 18–अभिलेखों, सम्पत्ति चिन्हों से सम्बन्धित अपराध एवं मुद्रा का कूटकरण धारा 463 से 465, 467, 468, 470, 471, 477क, 489 ए, बी, सी, डी, ई
अध्याय 20–विवाह से सम्बन्धित अपराध धारा 494, 495, 497, 498,
अध्याय 20(क)–पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता के विषय में धारा 498ए
अध्याय 21–मान हानि के विषय में धारा 499, 500
अध्याय 22–आपराधिक अभित्रास, अपमान एवं अपराध कारित करने के प्रयास धारा 503, 504, 506, 509
अध्याय 23–अपराधों के करने के प्रयत्न में धारा 511

नोट– प्रत्येक विषय पर अध्यापक सम्बन्धित संशोधनों एवं समय–समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक सिद्धान्तों/केस लॉ एवं प्रतिपादित विधि व्यवस्था की जानकारी प्रशिक्षुओं को देंगे।

- उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु को भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपराधों के अवयवों (ingredients) की जानकारी हो सके।
-

प्रश्न पत्र–तृतीय
दण्ड प्रक्रिया संहिता

कालांश–100 **अंक–125**

अध्याय 1–प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1, 2ए, सी, डी, जी, एच, एल, ओ, आर, एस, डब्ल्यू, एक्स, डब्ल्यूए
अध्याय 2–आपराधिक न्यायालय एवं अभियोजन इकाई धारा 6,9, 11, 12, 13, 20, 21, 24, 25, 25क
अध्याय 3–न्यायालय की शक्ति धारा 26, 28, 29, 30
अध्याय 4–पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियॉ धारा 36 से 40
अध्याय 5–व्यक्तियों की गिरफ्तारी, चिकित्सीय परीक्षण आदि 41 से 60
अध्याय 6–उपस्थित होने के लिए विवश करने वाली आदेशिकायें धारा 61 से 90
अध्याय 7–वस्तुऍ प्रस्तुत करने के लिए विवश करने वाली आदेशिकायें धारा 91, 93 से 95, 97, 98, 100, 102, 105
अध्याय 8–परिशान्ति एवं सदाचार बनाये रखने के लिए प्रतिभूति धारा 106 से 122
अध्याय 10–लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना न्यूसेन्स हटाना धारा 129 से 132, 133, 144, 145, 146
अध्याय 11–पुलिस द्वारा रोकथाम की कार्यवाही धारा 149 से 151
अध्याय 12–पुलिस के लिए सूचना एवं अन्वेषण की शक्तियॉ धारा 154 से 176
अध्याय 14–आपराधिक कार्यवाहियाँ शुरु करने के लिए आवश्यक शर्ते धारा 190, 195, 195 क से 199
अध्याय 22–कारागार में निरूद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के विषय में धारा 267, 270
अध्याय 23–जांचों व विचारण में साक्ष्य से सम्बन्धित धारा 299
अध्याय 24–जांचों व विचारण के बारे में सामान्य प्राविधान धारा 300, 306, 309, 311, 311क, 313, 315, 319, 320, 321
अध्याय 26–न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में धारा 345, 350
अध्याय 27–निर्णय धारा 357, 357क, 357ख, 357ग, 360,
अध्याय 29–अपीलें धारा 372, 376, 375, 377, 378
अध्याय 30–पुनरीक्षण धारा 397, 399, 401
अध्याय 33–जमानत एवं बन्धपत्र से सम्बन्धित उपबन्ध धारा 436, 436क, 437, 437क से 441
अध्याय 34–सम्पत्ति का निस्तारण धारा 451 से 459
अध्याय 36–विविध धारा 468 से 473
अध्याय 37–प्रकीर्ण धारा 482 एवं परिशिष्ट 1 व 2 की जानकारी

नोट– प्रत्येक विषय पर अध्यापक सम्बन्धित संशोधनों एवं समय–समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक सिद्धान्तों/केस लॉ एवं प्रतिपादित विधि व्यवस्था की जानकारी प्रशिक्षुओं को देंगे।

- उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु को दण्ड प्रक्रिया संहिता के उन सुसंगत उपबन्धों एवं सुसंगत केस लॉ से सुसज्जित कर दिया जाये, जिन्हें उसे अन्वेषण अधिकारी के रुप में अपने कर्तव्य के निर्वहन और न्यायालय एवं अभियोजन इकाई को न्यायिक कार्यवाहियों के मध्य सहायता प्रदान करते समय प्रयोग में लाना होता है ।

प्रश्नपत्र–चतुर्थ

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संविधान एवं मानवाधिकार

कालांश–100 **अंक–125**

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

अध्याय 1–प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1 से 3
अध्याय 2–तथ्यों की सुसंगता धारा 5 से 11,
–स्वीकृतियॉ 17, 24 से 30
–मृत्युकालिक कथन धारा 32, 32 (1)
–विशेषज्ञ की राय धारा 45, 45क, 47, 47क, 48
–शील की सुसंगता धारा 51, 53, 53ए, 54
अध्याय 4–मौखिक साक्ष्य के विषय में धारा 59, 60
अध्याय 5–अभिलेखीय साक्ष्य धारा 61, 62, 63, 65क, 65ख, 67, 67क, 73, 73क, 74, 75, 76
अध्याय 7–साक्ष्य का भार धारा 101 से 108, 111क, 113क, 113ख, 114, 114क
अध्याय 9–सक्षम साक्षी धारा 118, 119ए, 122 से 126 तक एवं 133, 134
अध्याय 10–साक्षीगण का परीक्षण धारा 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160 से 165

नोट– प्रत्येक विषय पर अध्यापक सम्बन्धित संशोधनों एवं समय–समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक सिद्धान्तों/केस लॉ एवं प्रतिपादित विधि व्यवस्था की जानकारी प्रशिक्षुओं को देंगे।

- उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न बिन्दुओं पर अद्यतन केस लॉ पढ़ाये जायेंगे।
- विभिन्न केस लॉ के सबंध में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों की जानकारी एवं ज्ञान।

उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु साक्ष्यों की प्रकृति और न्यायालय में उनकी स्वीकार्यता समझ सके। विषय के अध्यापन में स्पष्टीकरण एवं उदाहरणों का समावेश किया जाना चाहिए, ताकि प्रशिक्षु प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात् मामले से सम्बन्धित सुसंगत साक्ष्य एकत्रित करने के योग्य हो सके।

संविधान एवं मानव अधिकार

1. भारतीय संविधान का परिचय एवं प्रस्तावना
   (1) राष्ट्रपति/राज्यपाल/राज्य प्रमुखों का संरक्षण अनुच्छेद 361, 361क
   (2) जनहित याचिका (उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय)
2. मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12 से 35)
3. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त (अनुच्छेद 36 से 51)
4. मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51ए)
5. सशस्त्र बलों एवं पुलिस के अधिकारों का निर्बंधन (अनुच्छेद 33), केन्द्र एवं राज्यों के अधीन सेवा (अनुच्छेद 308 से 311), सांसदों एवं विधायकों की शक्तियॉ एवं विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105, 194),
6. मानवाधिकारों की अवधारणा एवं उनका महत्व, संवैधानिक प्राविधान।
7. मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 (धारा 2,3,4,5,12,13,14)
8. मानवाधिकारों एवं अपराध पीड़ित, परिवादी, साक्षी, अभियुक्त से व्यवहार विषयक विभागीय निर्देशों के मुद्दे पर न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय।
9. मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ।
10. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, बालकों एवं अल्पसंख्यकों के लिये राष्ट्रीय आयोगों के कार्य एवं शक्तियाँ।

11. अभिरक्षा में अपराधों विशेषकर अभिरक्षा में मृत्यु एवं बलात्कार की पुलिस विवेचनाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देश।
12. मानवाधिकारों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका
    - ➢ मानवाधिकारों के सम्बन्ध में पुलिस के विरुद्व सामान्य शिकायतें (केस स्टडीज)
    - ➢ मानवाधिकारों की संरक्षक के रूप में पुलिस की छवि को सुधारने की आवश्यकता एवं पहल

नोट– प्रत्येक विषय पर अध्यापक सम्बन्धित संशोधनों एवं समय–समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक सिद्धान्तों एवं प्रतिपादित विधि व्यवस्था की जानकारी प्रशिक्षुओं को देंगे।

- उद्देश्य संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छदों का ज्ञान कराना है।
- प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षु पुलिस कार्य हेतु मौलिक अधिकारों की पवित्रता को समझने में योग्य होना चाहिये और उसे असंवैधानिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों पर दृष्टि रखने के लिए उत्तरदायी संस्थाओं एवं प्राधिकारियों की जानकारी होनी चाहिए।

प्रश्न पत्र–पंचम
स्थानीय एवं विशेष अधिनियम

कालांश–120 **अंक–125**

सैद्धान्तिक
केन्द्र के प्रमुख ऐक्ट

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 2, 7 से 19, 22, 24
2. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 – सम्पूर्ण
3. विद्युत अधिनियम–2003 धारा 2, 135 से 155 तक
4. भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 धारा 2, 137 से 182
5. पुलिस अधिनियम, 1861 धारा 1, 2, 4, 5, 7 से 9, 15 से 30, 34 व 44
6. पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम 1966 – सम्पूर्ण
7. पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम 1922 धारा 2, 3, 5, 6
8. शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 धारा 2, 3 से 13 तक
9. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 2 से 11 तक, 20, 23, 24
10. किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 (वर्ष 2007यथा संशोधन 2015) की नियमावली सहित/यथा संशोधित) धारा 1 से 32 34, 37, 49, 63
11. किशोर न्याय नियम 2007/2015धारा 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 75, 76, 77, 84, 87
12. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 धारा 2 से 10, 13 से 20
13. स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985/2001 धारा 1, 2,8 से 68
14. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 2, 7 से 15, 17, 18, 19, 20 व 24
15. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 – सम्पूर्ण
16. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961/1986 धारा 2 से 8, 8ए
17. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 धारा 2, 3, 4, 5, 12, 18, 31 व 32
18. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 धारा 1 से 7, 10 से 16(यथा संशोधित 2015)
19. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली–1995 धारा 6, 7, 10
20. शस्त्र अधिनियम 1959 धारा 1 से 9, 13 से 17, 19 से 22, 25 से 30, 35 से 39 व 45
21. विस्फोटक अधिनियम 1884 धारा 4, 5, 9बी, 12, 13
22. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सम्पूर्ण
23. विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 धारा 1 से 3, 7, 8, 10 से 25, 35 से 40, 43 से 46, अनुसूची सहित
24. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 2 से 8, 12, 13 व 15
25. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 50, 51 व 55

26. मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 2 से 5, 39, 62, 112, 132, 133, 177, 179, 183, 184, 185, 192, 192ए, 194, 196, 197, 202 से 207
27. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 2, 125 से 136 (संशोधनों सहित)
28. सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति निवारण अधिनियम 1984 धारा 2 से 5
29. टेलीग्राफ एक्ट 1985 धारा 5
30. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957(कॉपी राइट एक्ट) धारा 2, 3, 14 ,52ए, 63, 63क, 64, 65, 68क
31. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 धारा 2, 12 से 19, 29, 30, 31, 36
32. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (यथासंशोधित वर्ष 2009) धारा 65 से 78
33. राष्ट्रीय गरिमा के अपयनन का निवारण अधिनियम 1971–सम्पूर्ण
34. मानव अंगो का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 धारा 2, 3 से 12, 18 से 22
35. धन शोधन अधिनियम–2002 धारा 2 से 5, 16, 17, 18, 19, 43 से 45
36. गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 धारा 2 से 6, 18 से 28, 30 (संशोधनों सहित)
37. राज्य द्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1966– धारा 2, 3, 5, 6, 8
38. बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम–2012 धारा 2 से 27, 34 व 42
39. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम–1971 धारा 2 से 5
40. महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम–1986 धारा 2 से 8
41. आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 धारा 2, 3, 6, 7 से 11 (संशोधनों सहित)
42. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1986 धारा 2, 3, 11 से 13, 21 से 36
(बीपीआरएण्ड डी तथा एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ इण्डिया द्वारा Guide to Animal Welfare Laws विषयक Law Enforcement Agencies का उपलब्ध कराया गया प्रशिक्षण पाठयक्रम)
43. महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक शोषण (रोकथाम, निषेध एवं उपचार) अधिनियम–2013 धारा 2 से 27
44. भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 2, 3, 5, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 41, 52 से 58, 63, 64, 65, 66, 70, 77, 79

नोटः– प्रवक्ताओं द्वारा नवीनतम संशोधनों/केस लॉ का विशेष उल्लेख किया जायेगा।

राज्य के प्रमुख ऐक्ट

1. उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 1970 धारा 02 से 09
2. उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 धारा 48 से 72 (यथासंशोधित 2017)
3. उ0प्र0 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 धारा 2, 3 से 9, 13, 13ए, 14, 16
4. उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निषेध) अधिनियम 1992 धारा 2 से 12
5. उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 धारा 2 से 7
6. उ0प्र0 पी0ए0सी0 अधिनियम 1948 – सम्पूर्ण
7. उ0प्र0 भूमि संहिता की धारा–65 व 66
8. उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 धारा 2 से 4, 14, 19 (नवीन संशोधन सहित)
9. उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 धारा 3, 4, 10 व 11
10. उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 धारा 1, 2, 4, 10, 12 व 13
11. यूनाइटेड प्रोबेन्सिज स्पेशल पावर एक्ट 1932 धारा 3 से 7
12. उ0प्र0 विद्युत तार ट्रांसफार्मर चोरी का निवारण तथा दण्ड अधि0–1976 धारा 1, 3, 5, 6
13. उ0प्र0 शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम–2010 धारा 2 से 8
14. उ0प्र0 बंदी अधिनियम एवं जेल मैनुअल– 1894 में कैदियों से सम्बन्धित सुसंगत धारायें/ नियम

प्रयोगात्मक

1. धारा 52 स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभिगृहीत वस्तुओं का निपटारा।
2. धारा 52क एन0डी0पी0एस0 एक्ट–समपहृत की गई स्वापक औषधियों एवं साइको ट्रॉपिक पदार्थों के निस्तारण की रिपोर्ट।
3. स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 50 का अनुपालन
4. स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 57 के अंतर्गत गिरफ्तारी और अभिगृहण की रिपोर्ट
5. धारा 36अ(4) स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम–धारा 19 अथवा 24 अथवा 27 के अधीन दण्डनीय अपराध की विवेचना 180 दिन के भीतर पूर्ण न होने पर रिमाण्ड अवधि बढ़ाये जाने की आख्या दिया जाना।
6. धारा 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट भेजना।
7. पुलिस अधिनियम धारा 25–पुलिस अधिकारी द्वारा बिना दावे वाली सम्पत्ति व्ययन के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करना।
8. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डों के वहिष्कासन इत्यादि की चालानी रिपोर्ट दिया जाना।
9. वहिष्कासित गुण्डे द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए पुनः प्रवेश आदि पर धारा 11 के अंतर्गत उसको हटाये जाने आदि की रिपोर्ट दिया जाना।
10. उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत जब्ती की रिपोर्ट दिया जाना।
11. आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6क के अन्तर्गत जब्ती की रिपोर्ट दिया जाना।
12. विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण 90 दिन में पूर्ण न होने पर रिमाण्ड अवधि बढ़ाने हेतु धारा 43घ (2ख) के अन्तर्गत रिपोर्ट दिया जाना।
13. वन अधिनियम यथा–संशोधित उत्तर प्रदेश की धारा 52क के अन्तर्गत जब्ती की रिपोर्ट दिया जाना।
14. किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत किशोर द्वारा 7 वर्ष से न्यून कारावास की सजा के मामले में रिपोर्ट दिया जाना।
15. किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत रखरखाव और संरक्षण से उपेक्षित बालक के सम्बन्ध में रिपोर्ट दिया जाना।
16. सार्वजनिक जुआ अधिनियम तलाशी वारन्ट जारी करने हेतु धारा 5 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को आख्या दिया जाना।
17. धारा 17 शस्त्र अनुज्ञप्तियों के निलम्बन इत्यादि की रिपोर्ट दिया जाना।
18. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत निरूद्धि हेतु रिपोर्ट दिया जाना।
19. मोटर वाहन अधिनियम के अर्न्तगत यातायात नियमों के उल्लंघन हेतुचालानी रिपोर्ट प्रेषित करना।
    - धारा 62 के परिप्रेक्ष्य में वाहनों की चोरी एवं दुर्घटना के सम्बन्ध में सूचना संबंधित अभिकरण को दिया जाना।
20. उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु गैंग चार्ट तथा गैंग चार्ट अनुमोदन हेतु थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा आख्या दिया जाना।
    - धारा 14(1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में अर्जित सम्पत्ति जब्ती की आख्या तैयार करना।
    - आरोप पत्र का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी आख्या तैयार करना तथा सुसंगत शासनादेश की जानकारी देना
21. विविध अधिनियमों के अन्तर्गत फर्द बनाया जाना, अधिग्रहण फर्द (मैमो) का बनाया जाना।
22. विविध अधिनियमों के अंतर्गत अभियोजन अनुमति लेने हेतु रिपोर्ट तैयार करना।
23. विविध अधिनियमों के अंतर्गत सम्पत्ति जब्ती हेतु रिपोर्ट तैयार किया जाना।

नोटः– प्रवक्ताओं द्वारा नवीनतम संशोधनों/केस लॉ का विशेष उल्लेख किया जायेगा।

प्रश्न पत्र–षष्टम्
पुलिस रेगुलेशन

कालांश–100 **अंक–125**

1.उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन

अध्याय 9 – ग्राम पुलिस पैरा 89 से 93 व 95
अध्याय 10 – थानों में की गई रिपोर्ट
अध्याय 11 – अनुसंधान
अध्याय 12 – पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार
अध्याय 13 – गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा
अध्याय 14 – सम्पत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण
अध्याय 15 – विशेष अपराध
अध्याय 17 – गश्त व नाकाबंदी
अध्याय 19 – फरार अपराधी
अध्याय 20 – बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी
अध्याय 22 – अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज
अध्याय 23 – पुलिस थानों पर रखे गये अभिलेख
अध्याय 27 – विशेष विधियाँ और नियमों के अधीन कर्तव्य
अध्याय 32 – पुलिस अधिकारी के विभागीय दंड एवं उनका आपराधिक अभियोजन पैरा 486, 495, 496, 500, 501, 505 से 507

2. गार्ड्स एवं स्कोर्ट रूल्स नियम संख्या– 7 से 10 , 12, 14, 15, 17 से 19, 21, 22 24, 32, 37, 62, 76, 106, 153 ,163, 185, 194, 196, 197
3. उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 सामान्य परिचय
4. भोजनालय व्यवस्था
5. नकद पुरस्कारों की घोषणा
6. सामान्य जानकारी (स्वाध्याय हेतु विषय)
   - राष्ट्रीय झण्डा प्रतीक एवं राष्ट्रीयगान का महत्व
   - पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर
   - अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट
   - उपलब्धियॉ तथा पुरस्कार
   - विभिन्न खेल प्रतियोगितायें
   - विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व
   - विख्यात पुस्तकें
   - नवीन राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
   - शवों का सम्मान

प्रश्न पत्र–सप्तम
सामान्य, जघन्य एवं विशेष अपराधों की विवेचना

कालांश–120 **अंक–125**

(ए)–सामान्य
सैद्धान्तिक

1. विवेचना का परिचय, विवेचना में सामान्य सिद्धान्त एवं चरण
   - विवेचक अधिकारी की दक्षतायें/कौशल
   - विवेचना के सिद्धांत
   - जांच व विवेचना में अंतर

- सूचना एवं परिवाद में अंतर
- सूचना एवं विवेचनाः कानूनी पहलू

(दं0प्र0सं0 की धारा 154 से 176, राज्य पुलिस नियमों के सुसंगत उपबन्ध)

2. अपराध का पंजीकरण एवं अपराध स्थलः–
   - प्रथम सूचना रिपोर्ट का तैयार किया जाना (द0प्र0सं0की धारा 154 व 155) व्यवहारिक अभ्यास सहित
   - अपराध घटना स्थल क्या है, इसका महत्व

<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट–स्रोत</u>

ए–मौखिक / लिखित
बी–एस0एम0एस0 / ई–मेल / टेलीफोनिक / डायल
सी–राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग / राज्य मानवाधिकार आयोग / मा0 न्यायालय / सक्षम अधिकारी से प्राप्त सूचना पर
डी–अस्पताल व अन्य विभागों से प्राप्त सूचना पर
ई– इलैक्ट्रॉनिक मीडिया / न्यूज पेपर
एफ–जीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट

<u>अपराध घटना स्थल</u>

ए–अपराध घटना स्थल की परिभाषा
बी–घटना स्थल का प्रकार, शरीर / सम्पत्ति
सी–घटना स्थल का आकार (साईज)
डी–घटना स्थल को सुरक्षित रखना / अलग रखना
ई–घटनास्थल / क्राइम सीन को कौन विजिट कर सकते हैं?
(1)विवेचनाधिकारी (2) फोरेन्सिक विशेषज्ञ (3) कानूनी सलाहाकार (4) चिकित्सक एक्सपर्ट (5) कार्यवाहक मजिस्ट्रेट (6) न्यायिक मजिस्ट्रेट (7) सुराग टीम (8) स्वान दल
एफ–घटनास्थल की खोजबीन
जी–घटनास्थल का अभिलेखीकरण फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी / स्कैच / नोट

- घटनास्थल पर साक्ष्यों की पहचान कर नक्शा नजरी में स्थिति निर्धारित करना
- प्रदर्शो की अभिरक्षा की कड़ी को बनाये रखना एवं विचारण न्यायालय के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करना।
- सूत्रों (मुखबिरों) द्वारा दी गई सूचना, सावधानियां, आपराधिक सूचना के विभिन्न स्त्रोत व उनका उपयोग करने में सावधानियां, उपयोगी सूत्रों की तलाश
-

<u>3. मौखिक साक्ष्य का एकत्रीकरण</u>

- साक्षीगण, संदिग्धों एवं अभियुक्तों का परीक्षण दृश्य / श्रव्य रिकॉडिंग सहित
  { दं0प्र0सं0 की धारा 160 से 164, 171, 306 से 308। साक्ष्य अधिनियम धारा 24 से 30, 32(1)। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) 22(1) एवं (2) }
- पूछताछ / संज्ञानात्मक साक्षात्कार के सिद्धान्त एवं तकनीकें
- संस्वीकृति–न्यायिक, गैर न्यायिक (कानून के सुसंगत प्राविधान), मृत्यु कालिक कथन का अभिलेखन, (कानून की सुसंगत धारायें एवं नियम), स्वीकृति व संस्वीकृति में अंतर
- विवेचना में प्रयोग किये जाने वाले मानक प्रारूप (सी.सी.टी.एन.एस.)
- प्लान ड्राइंग

4. अभिलेखीय साक्ष्यों, सम्पत्ति एवं भौतिक साक्ष्यों का एकत्रीकरण–तलाशी एवं जब्ती–जब्ती सूची की तैयारियाँ (धारा 99,100,102,165 एवं 166 द.प्र.सं– धारा 61से 90 भा.सा.अधि.) जब्ती मैमो, तलाशी मैमों आदि तैयार करना व सुपुर्दगीनामा तैयार करना
5. पंचनामा (धारा 174 से 176 दं.प्र.सं.)– पंचनामा रिपोर्ट का तैयार किया जाना (निर्धारित प्रारूप में)– राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुसंगत आदेश एवं निर्देश, चिकित्सीय परीक्षण

6. संदिग्ध अवस्था में शव (मृत्यु समीक्षा)
   (1) उ0नि0/थानाध्यक्ष/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा तैयार करना एवं पोस्टमार्टम हेतु भेजे जाने वाले अभिलेखों का ज्ञान
   (2) गड़े शव को जमीन से निकालने की प्रक्रिया(Exhumation)
7. शिनाख्त–शारीरिक विशेषताओं का अभिलेखन किया जाना, एक व्यक्ति की शिनाख्त के सम्बन्ध में सिद्धान्त–व्यक्ति एवं सम्पत्ति की टैस्ट शिनाख्त परेड (कैदी की शिनाख्त अधिनियम की सुसंगत धारायें)– पूर्ववत सत्यापन (राज्य पुलिस नियमों के सुसंगत प्राविधान)
8. केस डायरी (दं.प्र.सं. धारा 172)–केस डायरी लिखना, साक्ष्य चार्ट एवं साक्ष्य का मैमों, धारा 161 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत बयान लिखना।
9. व्यक्ति एवं स्थान की निगरानी, इलैक्ट्रॉनिक निगरानी, कॉल डिटेल रिपोर्ट का विश्लेषण
10. अभियुक्त की गिरफ्तारी व गिरफ्तारी कैसे की जायेगी तथा गिरफ्तारी सम्बन्धी महत्वपूर्ण केस लॉ
11. अभियुक्त के अधिकार (गिरफ्तारी एवं तलाशी के परिप्रेक्ष्य में)
12. गिरफ्तार/आत्मसमर्पण अभियुक्त हेतु चिकित्सीय परीक्षण/रिमांड प्रक्रिया
   (1) न्यायिक रिमांड (2) पुलिस रिमांड, धारा 27 की उपयोगिता एवं अभियुक्त का कथन
13. गिरफ्तारी–अभिरक्षा–अभिरक्षा मैमो का तैयार किया जाना–आख्या का अग्रसारण–(धारा 41 से 60, 167, 436, 439 दं.प्र.सं.), गिरफ्तारी मैमों, जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तरवार आख्या तैयार करना, सूचना शीट, धारा 160 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत नोटिस, हथकड़ी का प्रयोग एवं माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देश
14. अभियुक्त की उपस्थिति हेतु द0प्र0सं0 की धारा 82/83 की रिपोर्ट/कार्यवाही
15. आरोप पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट दाखिल करना, मफरूरी की कार्यवाही, धारा 173(8) द.प्र.सं. की कार्यवाही तथा न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित करना, विवेचना के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेख/थाने के रजिस्टरों में प्रविष्टियॉ। थाना अभिलेख/साफ्ट्वेयर, जिला अपराध अभिलेख शाखा, एस.सी.आर.बी., एन.सी.आर.बी. एवं विवेचना के दौरान एम.ओ.बी से सहायता। क्षमा प्रदान किये जाने एवं अप्रूवल सम्बन्धी प्रक्रिया। प्रत्यार्पण सम्बन्धी प्रक्रियायें। केस के अन्तिम निर्णय के उपरान्त न्यायालय की अभिरक्षा में रखे हुए अभिलेख एवं नकदी का उन्मुक्त किया जाना। मनःस्वापक एवं निषिद्ध द्रव्यों का निस्तारण ।
16. विवेचना, रिमांड, केसडायरी, अंतिम रिपोर्ट एवं आरोप पत्र पर अभियोजन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं कठिनाई के समय विधिक सलाह।
17. हत्या और पोस्ट ब्लास्ट की जॉच, सर्च मैथड, डॉग स्क्वाड और महिला व बच्चों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की सही और गलत भूमिका

प्रयोगात्मक

1– द0प्र0सं0 धारा–41 (क) पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना का आलेख तैयार करना।
2– द0प्र0सं0 धारा–41 (ख) गिरफ्तारी के ज्ञापन का आलेख तैयार करने का अभ्यास।
3– द0प्र0सं0 धारा–50 क (3) गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना नामित व्यक्ति को देने की सूचना का रो0आम में अंकित किया जाना।
4– द0प्र0सं0 धारा–51 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी में पाये गये सामान की सूची का मैमो तैयार करना।
5– द0प्र0सं0 धारा–53 अभियुक्त की चिकित्सक द्वारा शारीरिक परीक्षण संबंधी आख्या तैयार किया जाना।
6– द0प्र0सं0 धारा–53 (क) बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सक द्वारा परीक्षण किए जाने की आख्या तैयार किया जाना।
7– द0प्र0सं0 धारा–54 (क) गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त हेतु आख्या तैयार किया जाना।
8– द0प्र0सं0 धारा–55 पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी करने के लिए अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करने का आदेश तैयार किया जाना।
9– द0प्र0सं0 धारा–82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषण का आवेदन प्रस्तुत करना।
10–द0प्र0सं0 धारा–82 (4) निर्दिष्ट अपराधों में दण्डनीय अपराध के अधीन व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित कराने हेतु आख्या तैयार करना।

11–द0प्र0सं0 धारा–83 उद्घोषणा जारी होने के बाद फरार व्यक्ति की कुर्की में अभिग्रहीत सम्पत्ति की सूची का तैयार किया जाना।

12–द0प्र0सं0 धारा–100 बंद स्थान की तलाशी की सूची/मैमो बनाना।

13–द0प्र0सं0 धारा–102 सम्पत्ति को अभिग्रहीत करने की रिपोर्ट तैयार करना।

14–द0प्र0सं0 धारा–154 संज्ञेय अपराधों संबंधी सूचना का अंकन किया जाना।

15–द0प्र0सं0 धारा–155 असंज्ञेय अपराधों संबंधी सूचना का अंकन किया जाना।

16–द0प्र0सं0 धारा–160 साक्षियों को हाजिरी की अपेक्षा करने हेतु हेतु लिखित आदेश तैयार किया जाना।

17–द0प्र0सं0 धारा–161 साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध करने का अभ्यास।

- द0प्र0सं0 धारा 161क साक्षियों के कथनों को दृश्य, श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा लिखे जाने का अभ्यास।

18–द0प्र0सं0 धारा–164 संस्वीकृतियों और कथनों को मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित करने हेतु आख्या प्रेषित करना।

19–द0प्र0सं0 धारा–164 (क) बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षण संबंधी आख्या तैयार करना।

20–द0प्र0सं0 धारा–165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की फर्द बनाया जाना।

21–द0प्र0सं0 धारा–166 थाने का भारसाधक द्वारा अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने हेतु आख्या प्रेषित किया जाना।

22–द0प्र0सं0 धारा–166 (क) भारत देश के बाहर किसी देश में अन्वेषण के लिए सक्षम अधिकारी को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाना।

23–द0प्र0सं0 धारा–167 न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा हेतु आख्या प्रेषित किया जाना।

24–द0प्र0सं0 धारा–169 साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़े जाने की आख्या तैयार करना।

25–द0प्र0सं0 धारा–172 अन्वेषण में कार्यवाहियों की केस डायरी तैयार किया जाना।

26–द0प्र0सं0 धारा–173 आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किया जाना।

27–द0प्र0सं0 धारा–173 (8) के अंतर्गत अग्रिम विवेचना हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया जाना।

28–द0प्र0सं0 धारा–174 आत्म हत्या आदि पर पुलिस द्वारा जॉच करना अथवा रिपोर्ट का तैयार किया जाना।

29–द0प्र0सं0 धारा–176 (3) गढ़े हुए शव की परीक्षा हेतु निकलवाने के लिए मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रेषित करना।

30– द0प्र0सं0 धारा–311क नमूना हस्ताक्षर व हस्तलेख देने के लिए आख्या प्रेषित करना।

31– द0प्र0सं0 धारा–436/437 जमानत प्रार्थना पत्रों पर प्रस्तरवार आख्या तैयार किया जाना।

- जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना।

32– द0प्र0सं0 धारा–457/458/459 सम्पत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया संबंधी आख्या प्रेषित किया जाना।

33– अपराध के घटनास्थल का नक्शा–नजरी बनाना

34– पूछताछ आख्या तैयार किया जाना।

35– कॉल डिटेल रिपोर्ट का विश्लेषण करना।

36– गंभीर चोट, हत्या, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार के मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया जाना।

37– लोक व्यवस्था भंग होने विषयक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया जाना।

38– निम्न अधिनियमों के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति का प्रेषित किया जाना–

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 188, 196, 197

(ख) आयुध अधिनियम धारा 39

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 11

(घ) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम धारा 7

(ड़) पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम 1922 धारा 5

(च) शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 धारा 13(3)

(बी) जघन्य एवं विशेष अपराध

सैद्वान्तिक

1–(अ) विशिष्ट अपराधों की विवेचनाः–

- हत्या
- जलाकर दहेज हत्या
- बलात्कार
- लूट एवं डकैती
- अपहरण
- आगजनी
- गृह भेदन
- जहरखुरानी
- बलवा
- हिट एण्ड रन केस
- वाहन चोरी
- साईबर अपराध
- एन.डी.पी.एस. ऐक्ट के अपराध
- गबन, बैंक, ए.टी.एम., क्रेडिट कार्ड, इन्श्योरेंस, वाणिज्य, डाकघर, रेलवे में धोखाधड़ी व प्रतिरूपण करके छल
- निरोधात्मक कार्यवाही–गुण्डा अधिनियम, गैगस्टर अधिनियम
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के अर्न्तगत जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी
- अपराधियों को विदेशों से बुलाने का ज्ञान
- महिलाओं/बच्चों/अनु0जाति, अनु0जन जाति व अन्य संवेदनशील के विरूद्ध अपराध

(ब) अभियोजनः–

- जनपदीय न्यायिक व्यवस्था व मुकदमों की पैरवी।
- डी0जी0सी0 (क्रिमिनल)/ए0डी0जी0सी0 (क्रिमिनल) व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी, कोर्ट मोहर्रिर आदि के कर्तव्य।
- रिमाण्ड व जमानत की प्रक्रिया एवं सुनवाई, जमानत का निरस्तीकरण
- अभियोगों का सत्र न्यायालय में सुपुर्दगी/पैरोल की प्रक्रिया।
- अपील करने की प्रक्रिया
- गवाहों की समस्यायें और उनका निराकरण।
  अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती प्रदर्शों के रख–रखाव का ज्ञान

- उद्देश्य प्रशिक्षुओं को वैज्ञानिक एवं कानून सम्मत विवेचना की कला से सुसज्जित करना है। व्याख्यान/दृश्य–श्रव्य/केस स्टडी/अनुरूपण अभ्यास एवं फील्ड भ्रमण जैसी क्रिया पद्धति का प्रयोग करते हुए विवेचना में विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी को अपराध की विवेचना स्वतंत्र रूप से कर सकने हेतु विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। विवेचक की हैसियत से दं.प्र.सं. के प्रावधानों के साथ–साथ राज्य पुलिस नियमों/विनियमों के सुसंगत प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

प्रयोगात्मक

1– हत्या/दहेज मृत्यु के एक मामले की पूर्ण विवेचना।
2– बलात्कार के एक मामले की पूर्ण विवेचना।
3– डकैती/लूट के एक मामले की पूर्ण विवेचना।
4– हत्या के प्रयास में एक मामले की पूर्ण विवेचना
5– फिरौती हेतु अपहरण के अपराध के मामले की पूर्ण विवेचना।
6–गबन के एक मामले की पूर्ण विवेचना।
7– गंभीर चोट के एक मामले की पूर्ण विवेचना।
8– घातक दुर्घटना के एक मामले की पूर्ण विवेचना
9– नकबजनी के एक मामले की पूर्ण विवेचना।
10– एन.डी.पी.एस ऐक्ट के एक मामले की पूर्ण विवेचना।
नोटः– प्रत्येक उपविषय के लिये 08 अंक निर्धारित हैं।

- उद्देश्य प्रशिक्षु को जब और जैसे ही उसे थाने में नियुक्त कर दिया जाता है, आत्मनिर्भर रुप से विवेचना कर सकने के लिये आत्मविश्वास पूर्ण महसूस कराना है। अनुरुपित घटना स्थलों का निर्माण किया जाना चाहिये और समस्त कानूनी, साक्ष्य सम्बन्धी व प्रक्रियात्मक पहलुओं को शामिल करते हुये प्रशिक्षु को अपराध की आत्मनिर्भर रुप से विवेचना करने के लिये नियुक्त किया जाना चाहिये। अनुभवी पुलिस विवेचना अधिकारियों के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षु को पूर्ण अन्तिम रिपोर्ट/चालान तैयार करना चाहिये। विधि अधिकारी द्वारा ऐसी अन्तिम रिपोर्ट/चालान का बारीकी से निरीक्षण करके विवेचना में हुई प्रक्रियात्मक चूकों/कमियों को उजागर करना चाहिये।

प्रश्न पत्र–अष्टम्

अपराध शास्त्र, पुलिस मनोवृत्ति एवं नेतृत्व कौशल

कालांश–100 **अंक–125**

अ–अपराध शास्त्र

1–अपराध की परिभाषा, आपराधिक कानून की विशेषतायें, अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र का सम्बन्ध
2–अपराध शास्त्र की आधुनिक धारणा, रोल ऑफ इन्टरनेट, सोशल मीडिया, विक्टिमालोजी
3–अपराध के कारण– मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक
4–बाल अपराध, किशोर अपचार–कारण और किशोर अपचारियों के सुधार में पुलिस की भूमिका
5–पथ विचलन– व्यक्तिगत एवं सामूहिक, संगठित अपराध, सफेदपोश अपराध, आर्थिक अपराध
6–दण्ड शास्त्र के सिद्धान्त, दण्डात्मक एवं सुधारात्मक सिद्धान्त ,परिवीक्षा ,पैरोल, पुनर्वास, सुधारात्मक संस्थायें, सुधारात्मक प्रशासन एवं सामाजिक पुनः निर्माण।
7–देश में कारागार प्रणाली–सामान्य परिचय
8–बाल कल्याण बोर्ड, बाल गृह, विशेष विद्यालय, पर्यवेक्षण गृह, बोर्स्टल संस्थान, बाल न्यायालय की कार्य प्रणाली

- उद्देश्य प्रशिक्षुओं को अपराध के प्रेरक कारकों, अपराधिक मनोविज्ञान विशेषकर किशोर अपचार और सुधारात्मक तकनीकों के महत्व को समझाना है। प्रशिक्षुओं को सिद्धान्त सम्बन्धी निर्देशों से बोझिल करने के बजाय क्षेत्र में प्राप्त अनुभवों के विस्तार वर्णन पर बल दिया जाना चाहिये ।

ब–पुलिस मनोवृत्ति एवं नेतृत्व कौशल

1–प्रबन्धन की अवधारणा, प्रबन्धन कार्य, प्रबन्धन में नेतृत्व
2–व्यक्तित्व विकास
3–तनाव प्रबन्धन
4–कार्य सन्तुष्टि
5–सामान्य नेतृत्व के गुण
6–संगठनात्मक व्यवहार
7–टीम बिल्डिंग (टीम बनाना)
8–प्रेरणा
9–व्यक्तित्व विकास
10–विवाद प्रबन्धन
11–सार्वजनिक काम में नकरात्मकता
12–मीडिया प्रबन्धन–मीडिया के साथ व्यवहार सामान्य सिद्धान्त, मीडिया ब्रीफिंगः क्या करें क्या ना करें।
13–सार्वजनिक बोलने की कला एवं अभयास
14–कार्मिक प्रबन्धन एवं अधीनस्थों को विकसित करना

प्रश्न पत्र–नवम्
विधि विज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र

कालांश–120 **अंक–125**

सैद्धान्तिक
ए–विधि विज्ञान (फारेन्सिक साइंस)

1. विधि विज्ञान, अपराध विवेचना में इसकी उपयोगिता
2. केन्द्रीय व राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाए, अन्य विशेषज्ञ संस्थान, पुलिस कार्य में उनकी उपयोगिता, फील्ड यूनिट, विशेषज्ञ राय के सम्बन्ध में कानून
3. घटना स्थल का दृश्य और इसका रक्षण एवं परीक्षण, भौतिक साक्ष्य और इनका महत्व, घटना स्थल पर भौतिक सूत्रों को पहचानना व एकत्रित करना। भौतिक साक्ष्य से सम्बन्धित लोकार्डो का सिद्धान्त
4. अंगुष्ठ छाप, इतिहास, महत्व, वर्गीकरण, छाप के प्रकार, अदृश्य चिन्हों को विकसित करना एवं उठाना, हथेली की छाप, एक अंकीय व दस अंकीय प्रणाली
5. पद व जूतों की छाप, महत्व, पद छाप उठाने की विधियॉ, वॉकिंग पिक्चर, टायर मार्क, स्किड मार्क
6. **भौतिक साक्ष्यों की पहचान–**
   (1) रक्त– रक्त का विश्लेषण, रक्त समूह व रक्त की जाति का निर्धारण, परीक्षण विधियां, साक्ष्य के रूप में उपयोगिता
   (2) **शारीरिक तरल**–शुक्र, लार व पसीना–परिरक्षण व पैकिंग परीक्षण विधियां, साक्ष्य के रूप में उपयोगिता
   (3) बाल– संरचना, साक्ष्य के रूप में बाल की उपयोगिता
   (4) रेशे व कपड़ा– रेशों का वर्गीकरण, साक्ष्य के रूप में उपयोगिता
   (5) कॉच– संरचना, कॉच बिभंजन (Glass fractures) से प्राप्त होने वाली जानकारियां, संग्रह परिरक्षण एवं परीक्षण
   (6) मिट्टी– संरचना, संग्रह, परिरक्षण एवं परीक्षण
   (7) पेन्ट– रासायनिक संघटन, संग्रह, परिरक्षण एवं परीक्षण
   (8) मैल व धूल–साक्ष्य के रूप में उपयोगिता
7. अभिलेख– जाली दस्तावेज, दस्तावेज परीक्षण के सिद्धांत, पहचान हेतु परीक्षण– लेखन सतह, लेखन यंत्र, स्याही हस्तलिपि, विलेखन (Erasure), संकलन (Addition), विलोपन (Oblitration), परिवर्तन (Alteration), गुप्त, जले व झुलसे दस्तावेज, टंकित लेख, हस्तलेख, हस्तलेख का नमूना प्राप्त करना
8. जाली नोट व सिक्के–पहचान के आधार
9. औजार चिन्ह, प्रकार, विलुप्त चिन्हों का पुनः उभारना (पुनः स्थापना)
10. एल्कोहल, ड्रग एवं नारकोटिक्स
11. विष– विषों का वर्गीकरण, सामान्यतया प्रयोग में लाये जाने वाले विष, विसरा सुरक्षित रखना, विष प्रकरण में संग्रहित किए जाने वाले साक्ष्य
12. डी.एन.ए. की जॉच व उपयोगिता, डी.एन.ए. सैम्पल लेना एवं परीक्षण हेतु भेजना
13. नारको एनेलेसिस, ब्रेन मैपिंग एवं पॉलीग्राफ टेस्ट/लाई डिटेक्टर टेस्ट–सामान्य जानकारी
14. अस्त्रक्षेप विज्ञान–आग्नेयास्त्र का वर्गीकरण, बोर, कारतूस, बुलेट, वैड, गन पाउडर, कारतूस व बुलेट पर बनने वाले निशान व परीक्षण, फायरिंग की दूरी का निर्धारण, गनशाट रेजीडयू टेस्ट, रिकोचेटिंग
15. विस्फोटक–वर्गीकरण, सामान्यतया प्रयोग में लाये जाने वाले विस्फोटकों के सम्बन्ध में जानकारी, विस्फोट के घटनास्थल पर बरती जाने वाली सावधानियॉ
16. इन्फ्रारेड, अल्ट्रावाइलेट एवं एक्स–रेज, भौतिक सामग्री (साक्ष्य) ढूढ़ने एवं अनुसंधान में इनका प्रयोग एवं महत्व (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
17. सुपर इम्पोजिशन फोटोग्राफी
18. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अर्न्तगत ट्रैप के मामलों में रंगों एवं रसायनों का प्रयोग (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)

19. पुलिस कार्य में फोटोग्राफी, घटना स्थल की फोटोग्राफी।
(प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
20. संदिग्ध का कम्प्यूटर आधारित चित्रण/चित्र तैयार करना (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
21. फिंगर प्रिन्टस का कम्प्यूटराइजेशन, इन्डेक्सिंग, डाटाबैंक, क्रास चैकिंग करना तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा विकसित आटोमेटेड फिंगर प्रिन्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम।

- व्याख्यान/दृष्य–श्रव्य सामग्री/केस स्टडी/प्रयोगशाला भ्रमण/व्यवहारिक प्रदर्शनों को अध्यापन प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्देश्य है कि प्रशिक्षु अपराधों की विवेचना में उपलब्ध वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करने की जानकारी हासिल कर ले।

प्रयोगात्मक

1–भौतिक प्रदर्शों का उठाना, पैक करना, सील बन्द करना, लेवल लगाना एवं परिवहन करना।
2– रक्त साक्ष्य का संग्रह व पैकिंग करना
3–ड्रग डिटेक्शन किट द्वारा द्वारा नारकोटिक्स का परीक्षण करना।
4– विस्फोट के घटनास्थल पर साक्ष्यों का एकत्रीकरण।
5– ट्रैप के मामलों में रासायनिक रंगों का प्रयोग
6– विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विशेषज्ञ हेतु पत्र/ज्ञापन तैयार करना एवं अग्रसारित करना।
7– फिंगर प्रिंट का लिया जाना व रीडर डिवाईस पर फिंगर प्रिंट लिया जाना।
8– हत्या, चोरी, बलात्कार, सड़क दुर्घटना आदि अपराधों के घटनास्थल का प्रतिरूपण कर भौतिक साक्ष्यों का उठाया जाना।
9– अपराध के घटनास्थल की फोटोग्राफी
10–अपराध स्थल अनुरूपण–परीक्षण, कलर पोट्रेट का बनाया जाना

बी– विधि चिकित्सा शास्त्र (फारेन्सिक मेडिसिन)

1. पुलिस कार्य में विधि चिकित्सा शास्त्र का क्षेत्र (स्कोप) एवं महत्व
2. मेडीकोलीगल साक्ष्य के दृष्टिकोण से घटना स्थल का निरीक्षण
3. चोटें व घाव, परिभाषा, साधारण व गम्भीर चोट, विभिन्न प्रकार की चोटें–नील, रगड़/खरोच, कटे–फटे व कुचले घाव, घोपे हुए घाव, फ्रेक्चर, जलने के घाव, विद्युत करंट से आये घाव, आग्नेयास्त्र घाव, प्रवेश व निकासी, घाव में अन्तर–मृत्यु पूर्व व मृत्यु पश्चात आयी चोटो में अन्तर, चोट की उम्र
4. मृत्यु के कारणों एवं मृत्यु के पश्चात् व्यतीत समय पर बल देते हुए मेडीकोलीगल पहलू
5. हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना एवं स्वाभाविक (प्राकृतिक) मृत्यु
6. मृत्यु, मृत्यु के प्रकार, मृत्यु के कारण, फाँसी लगाकर मृत्यु, गला घोटकर मृत्यु, श्वासावरोध, पानी में डूबकर मृत्यु, मृत्यु के पश्चात शरीर पर दिखायी देने वाले
लक्षण व उनका मैडिकोलीगल महत्व, डायटम परीक्षण, विष/विषैले पदार्थ के प्रभाव से मृत/जीवित व्यक्तियों के शारीरिक लक्षणों की पहचान
7. मृत व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के तरीके–
    - उत्खनन, पोस्ट मार्टम परीक्षण, क्षत–विक्षत मृत शरीर का परीक्षण
    - अस्थि अवशेष और लिंग एवं आयु का निर्धारण
8. यौन अपराध–बलात्कार, अवैध गर्भपात एवं बाल हत्या
9. आयु निर्धारण सहित जीवित व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के तरीके
10. अपराध (जीवित एवं मृत शरीर) कारित करने हेतु भारत में साधारणतः प्रयोग में लाये जाने वाले जहरों का मेडीकोलीगल पहलू
11. घायलों एवं लाशों का परिवहन
12. पोस्टमार्टम एवं मेडीकोलीगल परींक्षण में सामान्यतः प्रयुक्त विभिन्न शब्द/शब्दावली

- उपरोक्त विषयों का प्रशिक्षण दिये जाते समय व्याख्यान, दृश्य–श्रव्य सहायकों और केस स्टडी प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु को अन्वेषण के दृष्टिकोण से विधि चिकित्सा शास्त्र का सम्यक ज्ञान हो सके।

प्रश्न पत्र–दशम्

थाना प्रबन्धन, अपराध नियंत्रण एवं शान्ति व्यवस्था

कालांश–150 **अंक–125**

थाना प्रबन्धन एवं अपराध नियंत्रण

सैद्धान्तिक

1–थाने के सामान्य कार्यः–

- पुलिस थाना–अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था के रख–रखाव के सन्दर्भ में पुलिस स्टेशन के दैनिक क्रिया कलापों की जानकारी।
- शांति–व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपाय ।
- थाने के प्रभारी अधिकारी के दायित्व एवं शक्तियाँ।
- थाने के मानव एवं भौतिक संसाधनों के प्रबन्धक के रूप में भूमिका एवं विभिन्न अंशधारियों (स्टेकहोल्डर्स) की आवश्यकताओं एवं उत्तरदायित्व के प्रति अनुक्रिया (रिस्पोन्स)।
- उप निरीक्षकों एवं सहायक उप निरीक्षकों के दायित्व।
- थाने पर आरक्षियों/मुख्च आरक्षियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
- राजकीय भवन एवं थाना सम्पत्तियों का रख–रखाव–आर्म्स एम्यूनेशन की देख–भाल एवं अभिरक्षा।
- थाने में लॉकअप का रख–रखाव एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुरूप अभियुक्तों को सुरक्षित ले जाना।
- केस सम्पत्ति का रख–रखाव एवं निस्तारण।
- थाने के अभिलेखों एवं रजिस्टरों का रख–रखाव।
- राज्य पुलिस नियमों/विनियमों के अनुसार थाने पर अभिलेखों एवं रजिस्टरों का रख–रखाव एवं उनकी उपयोगिता।
- विभिन्न अभिलेखों एवं रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ अंकित करने की प्रक्रिया।
- जन शिकायतों पर समुचित कार्यवाही।
- भूमि संबंधी विवादों में सुसंगत भू–अभिलेखों की जानकारी

2–अपराध की रोकथामः–

- अपराध की रोकथाम– तकनीकें एवं रणनीतियाँ।
- बीट एवं गश्तः उद्देश्य एवं प्रक्रिया– शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बीट पद्धति– योजना, फैलाव (डिपलॉयमेंट) एवं पर्यवेक्षण तथा सोशल मीडिया से बीटसूचना एकत्र करना।
- आपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण– पुलिस को सूचना देने का हेतु (मोटिव)–सूचना के अभिलिखित स्रोत–मुखबिरों का फैलाव एवं रख–रखाव/सूचना देने वाले एवं अभिकर्तागण, क्या करें क्या न करें ?
- सूचनाओं का एकत्रीकरण, संग्रह, फिल्टरिंग, एनालाइजिंग, डिसीजन एवं रिपोर्टिंग
- आपराधिक अभिसूचना के एकत्रीकरण में नागरिक सहयोग।
- ग्राम चौकीदारों, सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं लाइसेन्सी असलहा (आग्नेयास्त्र) धारकों का सहयोग प्राप्त करना।
- आपराधिक अभिसूचना का विकीर्णन (डिसेमिनेशन)

3–निगरानी –उद्देश्य एवं तकनीकें

4–कानूनी प्राविधान एवं प्रकिया–निगरानी के तौर तरीकों पर न्यायालय के निर्देश, ग्राम भ्रमण एवं अपराध की रोकथाम में इसका महत्व

5–हिस्ट्रीशीट, व्यक्तिगत पत्रावली व दुष्चरित्र लेख का बनाया जाना, गुहार, नोटिस, अजनबी नामावली , क्रियाशील अपराधी सूची, मफरूर रजिस्टर।

6–पैरोल उल्लघंन कर्ताओं से व्यवहार (द गुड कन्डक्ट ऑफ प्रिजनर्स प्रोवेसन रिलीज ऐक्ट 1926, धारा–2 से 8)

7–जमानत उल्लघंन कर्ताओं एवं घोषित अपराधियों के साथ व्यवहार

8–डकैती एवं गृहभेदन जैसे अपराध के विशेष प्रकारों की रोकथाम

9–संगठित अपराध (संगठित अपराधों की रोकथाम हेतु शराब माफिया, टेण्डर माफिया एवं विभिन्न प्रकार के ठेकों के माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही)
10–फिरौती हेतु अपहरण के अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही
11–मानव दुर्व्यापार एवं शोषण (Human Trafficking & Exploitation)
12–अपराध एवं अपराधियों के अभिलेख –

- गैंग रजिस्टर एवं गैंग केसेज
- अपराध एवं अपराधियों की कार्य पद्धति
- आवश्यकता एवं महत्व –सुसंगत पुलिस थाना अभिलेख, डी.सी.आर.बी., एस.सी.आर.बी., एन.सी. आर.बी., इन्टरपोल से समन्वय।
- अपराध अभिलेख प्रबन्धन एवं कम्प्यूटर अभिलेख सहित इनकी उपयोगिता

13–क्राइम मैपिंग, हॉट स्पॉट पुलिसिंग
14– अपराध की रोकथाम में सहायता के लिये सामुदायिक पुलिसिंग
15–वायरलैस दूर संचार –

- परिभाषा
- आधारभूत धारणायें एवं दूर संचार नेटवर्क का महत्व
- प्रयोग किये जाने उपकरणों के प्रकार
- दूरसंचार संवाद में क्या करें व क्या न करें
- सन्देशों की प्राथमिकता
- संदेश–लेखन एवं वर्गीकरण
- नियन्त्रण कक्ष एवं पुलिस मोबाइल्स–सी.सी.आर., डी.सी.आर. की कार्य प्रणाली
- दूरसंचार में आधुनिक पद्धतियॉ–सी.सी.टी.वी., रेडियो बेस्ड पीए सिस्टम, जी.पी.एस. बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम
- एच0एफ0, सी.सी.टी.एन.एस. आधारित क्यू मेल
- नगर नियंत्रण कक्ष में यू0पी0 100 व्यवस्था में कॉल ट्रैकिंग का अभ्यास

- उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु अधिकारी का पुलिस थाना प्रबन्धन, अपराध नियंत्रण एवं वायरलैस दूर संचार के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित कौशल का विकास हो सके।

प्रयोगात्मक

1–द0प्र0सं0 धारा–107/108/109/110 के अंतर्गत रिपोर्ट तैयार करना।
2–द0प्र0सं0 धारा–122 बी के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित किया जाना।
3–द0प्र0सं0 धारा–133 लोक न्यूसेंस हटाने के लिए आख्या प्रेषित किया जाना।
4–द0प्र0सं0 धारा–145 भूमि या जल से संबंधित विवादों से परिशांति भंग होने विषयक आख्या तैयार किया जाना।
5–द0प्र0सं0 धारा–151 के अंतर्गत चालानी रिपोर्ट प्रेषित किया जाना।
6–त्यौहार रजिस्टर में सुसंगत प्रविष्टियां करना।
7–विभिन्न प्रकार के स्थायी आदेश बनाना, जिसमें सभी प्रकार की सावधानियां–क्या करें, क्या न करें आदि स्पष्ट रूप से अंकित किए जाने का अभ्यास किया जाना।
8–मेलों एवं त्यौहार आदि पर थाना स्तर पर पुलिस बल की नियुक्ति का आदेश बनाना।
9–गश्त, पिकेट, बैंक, ट्रेजरी सुरक्षा हेतु स्थायी आदेश बनाना।
10–राजकीय सम्पत्ति का निरीक्षण नोट अंकित किया जाना
11–गोपनीय नोट बुक में प्रविष्टियां अंकित किया जाना।
12–थाने पर रखे जाने वाले रजिस्टर नं0 4, 5 व 8 में प्रविष्टियां अंकित किया जाना।
13–कॉज लिस्ट एवं पैरवी रजिस्टर में प्रविष्टियां अंकित किया जाना।
14–वायरलैस संदेशों का लिखना एवं उनका वर्गीकरण ।
15–हैण्ड हेल्ड एवं स्टेटिक मोबाईल वायरलेस सेटों पर वार्ता करना।
16–यू0पी0 100, वूमेन पावर लाइन्स 1090 की जानकारी करना।

शान्ति व्यवस्था

सैद्धान्तिक

1–भीड़ नियंत्रण

- भीड़ मनोविज्ञान एवं व्यवहार, भीड़ के प्रकार
- भीड़ नियन्त्रण के सिद्धान्त तथा रणनीति, अभिसूचना संकलन, विधिक उपाय, परामर्श एवं मध्यस्थता
- अफवाहों पर नियंत्रण, सामाजिक मीडिया (Social Media) का अनुश्रवण
- कानून व्यवस्था की स्थितियों का पूर्वानुमान
- थाने की दंगा नियन्त्रण योजना का ज्ञान
- भीड़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में निरोधात्मक कार्यवाही के प्राविधान
- दंगारोधी योजना में गति, आदेश एवं नियन्त्रण की समस्यायें, अर्द्धसैनिक बलों/पीएसी का व्यवस्थापन एवं उनका ड्यूटी रोस्टर
- अर्द्धसैनिक बलों के व्यवस्थापन के दौरान समन्वय एवं सहयोग
- न्यायिक जांचेः कमीशन आफ इन्क्वारीज एक्ट–1952 की मुख्य विशिष्टतायें

2–आपदा प्रबन्धन

- आपदा प्रबन्धन की राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय योजनायें
- आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में अन्य विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं से सांमजस्य
- अन्य आपदायें/बड़ी दुर्घटनायें–विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औद्योगिक दुर्घटना, भगदड़ इत्यादि के दौरान कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व
- सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं के समय कार्ययोजना एवं पुलिस का उत्तरदायित्व
- आग की घटनायें–अग्निशमन/बचाव कार्य
- गम्भीर दुर्घटनाओं/आपदाओं के दौरान घटित होने वाले सामान्य अपराध तथा उसके नियन्त्रण हेतु पुलिस कार्यवाही।

3–आंतरिक सुरक्षा

- आंतरिक सुरक्षा का वर्तमान परिदृश्य
- सक्रिय आतंकवादी संगठनों की जानकारी
- आन्तरिक सुरक्षा योजना
- आतंकवाद एवं नक्सलवाद निरोधी उपाय एवं रणनीति

4–विशिष्ट व्यक्तियों/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था

- अग्रिम सुरक्षा लायजन, प्रवेश नियंत्रण एवं तोड़फोड़ विरोधी परीक्षण (Anti Sabotage check) सहित वीआईपी सुरक्षा के सामान्य सिद्धान्त
- वी0आई0पी0 के लिए सुरक्षा प्रबन्धः–
  - ठहरने के स्थान पर
  - सार्वजनिक सभा में
  - कॉनवॉय प्रबन्ध सहित सड़क पर आवागमन के समय
  - हैलिपैड/ एयरपोर्ट पर
  - संवेदनशील स्थलों पर प्रभावी बैरीकेडिंग की व्यवस्था
- महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं संवेदनशील बिन्दुओं यथा हवाई अड्डो, रेलवे, औद्योगिक संस्थानों एवं सार्वजनिक महत्व के भवनों की सुरक्षा

5–यातायात प्रबन्धन

- ➢ यातायात यांत्रिकी, सुरक्षा शिक्षा एवं प्रवर्तन सहित यातायात प्रबन्धन की तकनीकें
- ➢ यातायात चिन्ह एवं सिग्नलों का ज्ञान
- ➢ राजमार्गों पर यातायात प्रबन्धन
- ➢ यातायात सुरक्षा शिक्षा–ट्रैफिक पार्क, यातायात सुरक्षा पखवाड़ा/माह
- ➢ यातायात कानूनों के प्रवर्तन में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों–रडार गन, श्वांस विश्लेषक, धुरी भार तोलना, स्वतः निकास उत्सर्जन विश्लेषक आदि को सम्भालना
- ➢ वाहनों में लाल एवं नीली फ्लैश/बत्ती तथा हूटर व सायरन के प्रयोग करने सम्बन्धी नियमों का ज्ञान एवं प्रयोग करने हेतु अधिकृत गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों की जानकारी।

- अन्तःकक्षीय एवं बाह्य कक्षीय शिक्षण को जोड़ते हुए अनुरूपण अभ्यासों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

6–मेला प्रबन्ध

(क) मेला क्षेत्रों का सेक्टरों में बांटकर पुलिस बल की नियुक्ति
(ख) यातायात व पार्किंग व्यवस्था
(ग) घुड़सवार, अग्निशमन पुलिस एवं संचार व्यवस्था
(घ) रिजर्व पुलिस बल की व्यवस्था
(ड़) मेला यदि नदी किनारे है, तो जल पुलिस की व्यवस्था
(च) अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त व्यवस्था आदि
(छ) मेले हेतु नौटंकी/जादू/मौत का कुँआ एवं अन्य मनोरंजन के साधनों का परमिट जारी करने से पूर्व सावधानियां

7–त्यौहारों पर पुलिस व्यवस्था

(क) त्यौहार रजिस्टर में पर्व सम्बन्धी नोट्स का अवलोकन करना।
(ख़) संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की नियुक्ति करना।
(ग) अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था करना।
(घ) यातायात व्यवस्था करना।
(ड़) शांति भंग करने वालों के विरूद्ध समय रहते कार्यवाही करना।
(च) धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजनों पर बिना शस्त्र शान्ति व्यवस्था बनाये रखना, सॉफ्ट स्किल, इमोशनल, इंटेलीजेंस, सिम्पेथी

8–चुनाव के समय पुलिस व्यवस्था

(क) संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हित करना
(ख) मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को शान्तिपर्वूक मतदान करने का वातावरण प्रदान करना।
(ग) वोटिंग मशीन व मतदान केन्द्र पर नियुक्त अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना।
(घ) मतगणना के समय शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
(ड़) विधि विरूद्ध कार्य करने वालों के विरूद्ध निरोधात्मक एवं कानूनी कार्यवाही करना।

प्रयोगात्मक

1–भीड़ नियंत्रण

- ➢ राजनैतिक आंदोलनों, महिलाओं, छात्रों, श्रमिकों, किसानों आदि के आन्दोलनों से निपटने में विशेष समस्यायें एवं रणनीति।
- ➢ हिंसक भीड़ से निपटने के कम घातक तरीके एवं पुलिस द्वारा चरणबद्ध रूप से बल प्रयोग करने के प्राविधान
- ➢ साम्प्रदायिक समस्याओं से जनित हिंसक भीड़ से निपटना

2–आपदा प्रबन्धन

- ➢ बचाव एवं राहत कार्य–प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, चक्रवात भूस्खलन, तूफान, अतिवृष्टि आदि के समय कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व
- ➢ आपदा प्रबन्धन संबंधी मॉक ड्रिल का अभ्यास

3–आंतरिक सुरक्षा

- आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां–आतंकवाद, नक्सलवाद एवं धार्मिक कट्टरवादिता सहित विभिन्न प्रकार के अतिवाद (केस स्टडीज पर विचार विमर्श)
- आन्तरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में अभिसूचना का संग्रह
- शहरी आतंकवाद, बंधक स्थितियों से निपटने की कार्ययोजना
- आंतरिक सुरक्षा से सम्बन्धित विशेष स्थानीय कानून
- आर्म्स एक्ट 1959
- दि एक्सप्लोसिव एक्ट–1984
- गैर कानूनी गतिविधियॉ (निरूद्धकर) अधिनियम–1967
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम–1980 आफिशियल सिक्योरटी, केस स्टैडी राजीव गांधी केस–(1991), पार्लियामेट हाऊस केस–(2001), मुम्बई अटैक (2008), सी0आर0पी0एफ0 अटैक दन्तेवाडा–(2010) सहित
-

4–विशिष्ट व्यक्तियों/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था

- सार्वजनिक स्थानों, व्यस्त बाजारों/मॉल्स आदि पर विस्फोटकों से सावधानियां व सुरक्षा
- सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों का प्रयोग
- डीएफएमडी/एचएचएमडी,
- व्यक्तिगत फ्रिस्किंग

5–यातायात प्रबन्धन

- ट्रैफिक जाम के समय यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक डाईवर्जन प्लान
- मोटरवाहन दुर्घटनाएं–दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक सुरक्षा, प्रतिक्रिया समय, कारण एवं रोकथाम , दुर्घटना डाटा की रिपोर्टिंग/रिकार्डिंग एवं विश्लेषण, महत्वपूर्ण यातायात उल्लंघनों के लिए चालान का तैयार किया जाना, मोटर दुर्घटना दावे, मुआवजा योजना

6–मेला प्रबन्ध

अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त व्यवस्था आदि

7–त्यौहारों पर पुलिस व्यवस्था

संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की नियुक्ति करना

8–चुनाव के समय पुलिस व्यवस्था

चुनाव परिणामों के बाद विजय जुलूसों की व्यवस्था करना

प्रश्न पत्र–एकादश

कम्प्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम

कालांश–100 **अंक– 125**

सैद्धान्तिक

1–कम्प्यूटर का पुलिस विभाग में प्रयोग एवं उपयोगिता।

2–कम्प्यूटर एवं इसके हिस्सों से परिचय–हार्डवेयर और डाटा स्टोरेज उपकरण–जैसे पेन ड्राइव आदि सॉफ्टवेयर

3–विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम

4–एम.एस.वर्ड. का परिचय, पावर प्वॉइंट, एम.एस.वर्ड में फाईल बनाना, एडिटिंग करना, इन्सर्ट एवं फोरमेट कमांड, फोन्ट सेटिंग एवं प्रिन्टिंग करना

5–एमएस पावर प्वाइंट का परिचय, पावर प्वाइंट में फाईल बनाना एवं स्लाईड्स बनाना

6–एमएस एक्सेल का सामान्य परिचय

7–इन्टरनेट का उपयोग

8–कलर पोट्रेट बिल्डिंग सिस्टम का परिचय एवं स्कैच

9–नेटवर्किंग–हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर

10–इंटरनेट–टी0सी0पी0/आई0पी0 प्रोटोकॉल, आई0पी0 एड्रेस स्कीम, डिजीटल सिग्नेचर

- आई0टी0एक्ट 2000 (यथा संषोधित 2008) एवं अन्य अधिनियम तथा संहिताओं में संशोधन
- साइबर अपराध–रोकथाम एवं विवेचना एवं डिजीटल साक्ष्य को समझना, डिजिटल साक्ष्य का संकलन (Seizure) एवं उसे सुरक्षित रखना एवं तद्विषयक स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (S.O.P.)

11–ईमेल एकाउंट बनाना, ई–मेल भेजना/प्राप्त करना/फाइल डाउनलोड करना।

12–कम्प्यूटर एवं नेटवर्क फोरेन्सिक्स–सामान्य जानकारी

13–इलैक्ट्रॉनिक निगरानी तकनीकियाँ, सीसीटीवी कैमरा, आई0पी0 कैमरा, सेटेलाइट छवियाँ, जी.आई.एस./जी.पी.एस., आर. एफ.आई.डी. तकनीक, साइबर सुरक्षा

14–पुलिस विभाग में चल रहे विभिन्न पैकेज/साफ्टवेयर

- Heinious Crime Monitoring System
- Missing Persons
- Track the Missing Child
- Unidentified Bodies
- Stolen Vehicle Query (NCRB)
- उत्तर प्रदेश पुलिस बेवसाइट–एक दृष्टि
- सोशल मीडिया सेल/पीआरओ सेल एक दृष्टि
- आन लाइन एफआईआर पंजीकरण।
- पुलिस से सम्बन्धित प्रमुख मोबाइल एप्लीकेशन्स।

15– सी0सी0टी0एन0एस0

Role- based CCTNS Application Training (CAS)

1. Prosecution Module
    a. IIF-6 Court Disposal Form
    b. IIF- 7 Result of Appeal Form
2. Data Bank Module
    a. Vehicle Theft
3. Citizen Services Module
4. Extension Module
5. Central Services

16– इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस–

- कानूनी प्राविधान तथा अनुमति।
- मोबाइल फोन की कार्यप्रणाली एवं प्रकार तथा उसके विभिन्न फंक्शनों का प्रयोग।
- मोबाईल फोन फारेंसिक्स
- प्रदेश में कार्यरत मोबाइल कंपनियों के नाम एवं मुख्यालय तथा फोन नंबर।
- इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस हेतु विभिन्न उपयोगी उपकरण।
- इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस–कॉल डाटा रिकार्ड प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना तथा संदिग्धों/अपराधियों की स्थिति का पता लगाना।
- फोन टेपिंग–मोबाइल पर संदिग्धों/अपराधियों को सुनना एवं उनकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
- विभिन्न अपराधों/घटनाओं के अनावरण में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के प्रभावी प्रयोग का ज्ञान।
- इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस–प्रस्तुतीकरण (प्रशिक्षुओं द्वारा स्वयं तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा)

- प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी अपने दैनिक कार्यो में कम्प्यूटर का प्रयोग, कम्प्यूटर पर केस डायरियों एवं विवेचना से संबंधित अभिलेखों का अंकन सहित, करने में समर्थ हो सके ।
- इसमें हैंडस ऑन अभ्यासों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाये ।
- सी0डी0आर0 अनालाईसिस, टॉवर डम्प, ऑन लाईन फ्राड, बैकिंग फ्राड, थ्रेटिंग व ई–मेल

प्रयोगात्मक

Role- based CCTNS Application Training (CAS)) 4.5 Latest Version

1– सामान्य दैनिकी –

- सामान्य दैनिकी का पंजीकरण
- सामान्य दैनिकी को देखें

2– शिकायत–

- नई शिकायत का विवरण जोड़े
- शिकायत का पंजीकरण देखें
- शिकायतों का जोड़ना और हटाना
- शिकायत का स्थानान्तरण
- शिकायत के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति
- शिकायत जांच रिपोर्ट स्वीकृत/अस्वीकृत करना

3– पंजीकरण –

- जनरल डायरी
- प्राथमिकी–आई0आई0एफ0 प्रथम का पंजीकरण
- गैर संज्ञेय रिपोर्ट का पंजीकरण
- चिकित्सीय न्यायिक मामला (एम0एल0सी0)
- लापता व्यक्ति
- खोई हुई संपत्ति
- लापता मवेशी
- अज्ञात मृत शरीर/अस्वाभाविक मृत्यु
- सी–फार्म
- लावारिस/परित्यक्त संपत्ति
- अज्ञात व्यक्ति
- अजनबी के रोल
- आग हादसा

4– जांच –

- अपराध विवरण–आई.आई.एफ. द्वितीय
- गिरफ्तार/आत्मसमर्पण–आई.आई.एफ. तृतीय
- जमानत विवरण
- सम्पत्ति जब्ती–आई.आई.एफ. चतुर्थ
- मामले का पुनः आवंटन
- पूछताछ प्रपत्र
- अंतिम प्रपत्र–आई.आई.एफ. पंचम्
  - अन्तिम रिपोर्ट
  - आरोप पत्र
- केस डायरी
- आपराधिक फाइल
- प्रकरण प्रगति रिपोर्ट
- उद्घोषित अपराधी
- आपराधिक रूपरेखा
- व्यक्तिगत खोज ज्ञापन की तैयारी
- रिमांड प्रपत्र
- सम्पत्ति संचलन चालान/रसीद
- बाहरी संस्थाएं

5– अभियोजन –

- वारंट बुलाने
- कोर्ट केस संख्या
- कोर्ट ट्रायल विवरण
- कोर्ट केस निपटान फार्म–आई.आई.एफ. षष्ठम्
- अपील के फार्म का परिणाम–आई.आई.एफ. सप्तम्
- जेल विस्तार से जोड़ें
- सम्पत्ति के मालखाना से रिलीज के लिए कोर्ट में आवेदन

6– हिन्दी में टाइपिंग का प्रशिक्षण :– 25 शब्द प्रति मिनट (60 कालांश)

नोट :– संस्था प्रभारी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी टाइपिंग का दक्षता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें।

प्रश्न पत्र–द्वादश

पुलिस की छवि, व्यवहार एवं संवाद कौशल

कालांश–100 **अंक–125**

(क)–पुलिस आचरण, छवि एवं व्यवहार

1. पुलिस आचरण के सिद्धान्त, पूर्वाग्रह, रूढिवादिता एंव पक्षपात
2. पुलिस मनोवृत्ति, जनोन्मुखता, सेवोन्मुखता एवं व्यवसायिकता
3. पुलिस छवि एंव इसे सुधारने के तरीके
4. सामाजिक संवेदना निर्माण (Empathy and Sympathy)
5. पुलिस कार्य में नैतिकता
6. पुलिस का जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार
7. ड्यूटी के समय व अन्य अवसर पर नागरिक/जनता के साथ व्यवहार
8. बुद्धिजीवी, मजिस्ट्रेट, वकील एवं जेल स्टाफ के साथ व्यवहार
9. गवाहों के साथ व्यवहार
10. अपराध पीड़ित के साथ व्यवहार
11. विवाद के समय व्यवहार
12. दुराचारी के साथ व्यवहार
13. पुलिस थाने पर शिकायतकर्ता के साथ व्यवहार
14. यातायात उल्लंघन करने वालों के साथ व्यवहार
15. मजदूरों के साथ, अपरिपक्व, दिव्यांग एवं असहाय व्यक्तियों के साथ व्यवहार।
16. पुलिस का पर्यटकों से सहयोगात्मक/मधुर व्यवहार–आवश्यकता एवं महत्व।
17. पुलिस का महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ व्यवहार।
18. होमगार्ड एवं ग्राम चौकीदारों के साथ व्यवहार।
19. मृतकों/अज्ञात शवों के प्रति सम्मान का आचरण।
20. पुलिस का स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों से संबंध एवं तालमेल।
21. कम्यूनिटी पुलिसिंग (सामुदायिक पुलिसिंग): आवश्यकता, महत्व
22. लोक व्यवहार की कला(Art of Public Behaviour)
23. संवाद में बाधायें एवं इन पर काबू पाने के उपाय
24. सुनने की कला
25. कार्यस्थल पर क्रोध और आक्रामकता पर नियंत्रण करना
26. मीडिया प्रबन्धन–मीडिया के साथ व्यवहार, सामान्य सिद्धान्त, मीडिया ब्रीफिंगः क्या करें क्या ना करें।
27. औपचारिक एवं अनौपचारिक समूहः– समूह व्यवहार, छोटे समूहों के कार्य, महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों यथा छात्रों, नवयुवकों, औद्योगिक मजदूरों, किसान असंतोष, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय संघर्षों एवं राजनैतिक दलों से संबंधित समस्याओं को समझना
28. पुलिस का जनता के साथ व्यवहार– इसका महत्व, परिर्वतन की आवश्यकता, परिर्वतन कारित करने के तौर–तरीके
29. पुलिस छवि सुधार के लिए पहलें (Initiatives)
30. विभिन्न पुलिस ईकाइयों द्वारा पुलिस कर्म में अपनायी गयी अच्छी प्रथायें

(ख) संवाद एंव अन्य कौशल विकास

1. अवलोकन कौशल (Observation Skill)
2. संवाद/बोलने का कौशल(Oral Communication Skill)
3. प्रेरणा एंव प्रेरणा कौशल (Motivation & Skill)
4. श्रवण कौशल (Listening Skill)
5. लेखन कौशल (Writing Skill)/पुलिस में व्यवहृत सामान्य शब्दावली
6. समय प्रबन्धन (Time Management)
7. तनाव प्रबन्धन (Stress Management)
8. टीम भावना प्रबन्धन (Team Building Management)

(ओ0पी0 सिहं)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट–2

उपनिरीक्षक ना0पु0 (सीधी भर्ती)बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण पाठयक्रम की विस्तृत विषय वस्तु

प्रश्नपत्र–प्रथम

शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण (पी0ई0टी0)

कालांश–150 **अंक–150**

विभिन्न मदों में कालांश तथा पूर्णांकों का विभाजन–

क्र0सं0	मद	कालांश	पूर्णांक
1	शारीरिक दक्षता परीक्षा	कालांश–45	पूर्णांक–50
2	बैटल फिजिकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट	कालांश–25	पूर्णांक–30
3	दौड़ 100 मीटर	कालांश– 05	पूर्णांक–10
4	दौड़ 400 मीटर	कालांश– 05	पूर्णांक–10
5	क्रिकेट थ्रौ बॉल	कालांश– 05	पूर्णांक–10
6	रस्सी कूद	कालांश– 05	पूर्णांक–10
7	पी0टी0 एवं एपरेटर्स वर्क	कालांश–60	पूर्णांक–30
योग		150	150

शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी0ई0टी0) पुरूषों हेतु मानक

कालांश–45 **अंक–50**

उत्तीर्ण–60 प्रतिशत

क्र0 सं0	परीक्षण	दक्षता स्तर				प्राप्तांक			
1	2.5 कि0मी0 दौड़	12.00 मिनट	13.00 मिनट	14.00 मिनट	15.00 मिनट	10	9	8	6
2	10 कि0मी0 क्रॉस कन्ट्री दौड़	55 मिनट	60 मिनट	65 मिनट	70 मिनट	10	9	8	6
3	चिन अप्स	8	7	6	5	10	9	8	6
4	घुटने मोड़कर सिट अप्स (02 मिनट)	40	38	35	32	10	9	8	6
5	5 मीटर्स शटल (01 मिनट)	16	15	14	13	10	9	8	6

टिप्पणी:–

1– शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पोशाक–पी0टी0 ड्रेस

2–प्रशिक्षु जो एक इवेन्ट में अनुत्तीर्ण होगा, अन्तिम परीक्षा में उस इवेन्ट में पुनः सम्मिलित होगा।

3–प्रशिक्षु जो दो अथवा अधिक इवेन्ट्स में अनुत्तीर्ण होगावह पूरी परीक्षा मेंअनुत्तीर्ण माना जायेगा और अन्तिम परीक्षा में दुबारा सभी इवेन्ट्स में सम्मिलित होगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा(पी0ई0टी0) (महिलाओं हेतु मानक)

कालांश–45 **अंक–50**

उत्तीर्ण–60 प्रतिशत

क्र0 सं0	परीक्षण	दक्षता स्तर				अंक			
1	2.5 किमी0 दौड़	15.00 मिनट	16.00 मिनट	17.00 मिनट	18.00 मिनट	10	9	8	6
2	100 मीटर तीव्र दौड़	16.00 सेकेण्ड	18.00 सेकेण्ड	20.00 सेकेण्ड	22.00 सेकण्ड	10	9	8	6
3	बीम	5	4	3	2	10	9	8	6
4	घुटने मोड़कर सिट अप्स (02 मिनट)	35	30	25	20	10	9	8	6
5	5 मीटर्स शटल (एक मिनट)	14	13	12	11	10	9	8	6

टिप्पणी: 1. ड्रेस (पी0टी0 ड्रेस)

2. महिला प्रशिक्षु यदि एक इवेन्ट में अनुत्तीर्ण है, अन्तिम परीक्षा में उक्त इवेन्ट में सम्मिलित होगी।
3. महिला प्रशिक्षु यदि दो इवेन्ट में अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण मानी जायेगी और अन्तिम परीक्षा में सभी इवेन्ट में पुनः भाग लेगी।

बैटल फिजिकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट (पुरूषों हेतु समय का मानक)

कालांश–25 **अंक–30**

क्र0सं0	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक			उत्तीर्ण
1	5 किमी0 दौड़	30.00 मिनट	32.00 मिनट	34.00 मिनट	10	08	06	60 प्रतिशत
2	60 मीटर तीव्र दौड़	10 सेकेण्ड	11 सेकेण्ड	12 सेकेण्ड	5	04	03	60 प्रतिशत
3	9 मीटर गड्ढा (9×9 मय 2.5 पानी)	Clear(स्पष्ट पार करना)			5 अंक			उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण
4	समानान्तर रस्सा	Clear(स्पष्ट पार करना)			5 अंक			तदैव
5	लम्बवत रस्सा	Clear(स्पष्ट पार करना)			5 अंक			तदैव

टिप्पणी:–

उपरोक्त बी0पी0ई0टी0 बी स्केल से किए जाते है (मच्छरदानी या ग्राउण्डशीट एवं बैकपैक) व रायफल सहित

- प्रशिक्षु को सभी इवेन्ट पास करने है। यदि एक इवेन्ट में अनुत्तीर्ण होता है तो अन्तिम परीक्षा में पुनः सम्मिलित होंगा।
- प्रशिक्षु जो दो अथवा अधिक इवेन्ट्स में अनुत्तीर्ण होगा वह पूरी परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जायेगा और अन्तिम परीक्षा में पुनः सभी इवेन्ट्स में सम्मिलित होगा।

बैटल फिजिकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट (महिलाओं हेतु समय का मानक)

कालांश–25 **अंक–30**

उत्तीर्ण- 60 प्रतिशत

क्र0सं0	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक		
1	5 किमी0 दौड़	40.00 मिनट	45.00 मिनट	35.00 मिनट	10	08	06
2	60 मीटर तेज दौड़	12 सेकेण्ड	13 सेकेण्ड	14 सेकेण्ड	05	04	03
3	6 फिट गड्ढा पानी सहित	Clear(स्पष्ट पार करना)			5 अंक		
4	समानान्तरण रस्सा	Clear(स्पष्ट पार करना)			5 अंक		
5	लम्बवत रस्सा	Clear(स्पष्ट पार करना)			5 अंक		

टिप्पणीः–

- उपरोक्त बीपीईटी बी स्केल से किया जाता है (मच्छरदानी या ग्राउण्डशीट व बैकपैक) रायफल सहित प्रतिभागी को सभी आइटम पास करने है, यदि एक आइटम में अनुत्तीर्ण है, तो अन्तिम परीक्षा के समय पुनः सम्मिलित होगा।
- महिला प्रशिक्षु यदि दो इवेन्ट में अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण मानी जायेगी और अन्तिम परीक्षा में सभी इवेन्ट में पुनः भाग लेगी।

दौड़ 100 मीटर

कालांश–05 **अंक– 10**

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

पुरूष – 100 मीटर			महिला – 100 मीटर		
क्र0सं0	विषय	टंक	क्र0स0	विषय	अंक
1	13 सेकेण्ड मे	10	1	15.00 सेकेण्ड मे	10
2	13.01 से 13.30 सेकेण्ड मे	08	2	15.01से 15.30 सेकेण्ड मे	08
3	13.31 से 14.00 सेकेण्ड मे	06	3	15.31 से 16.00 सेकेण्ड मे	06
4	14.01 से 14.30 सेकेण्ड मे	04	4	16.01 से 16.30 सेकेण्ड मे	04
5	14.31 से 15.00 सेकेण्ड मे	02	5	16.31 से 17.00 सेकेण्ड मे	02
6	15.01 से 15.30 सेकेण्ड मे	01	6	17.01 से 17.30 सेकेण्ड मे	01

दौड़ 400 मीटर

कालांश–05 अंक–10

उत्तीर्ण–60 प्रतिशत

पुरूष			महिला		
क0 स0	विषय	अंक	क0 स0	विषय	अंक
1	01.15 मिनट तक	10	1	01.30 मिनट तक	10
2	01.16 से अधिक समय से 01.20 मिनट तक	09	2	01.31 से अधिक समय से 01.35 मिनट में	09
3	01.21 से अधिक समय से 01.25 मिनट तक	08	3	01.36 से अधिक समय से 01.40 मिनट में	08
4	01.26 से अधिक समय से 01.30 मिनट तक	07	4	01.41 से अधिक समय से 01.45 मिनट में	07
5	01.31 से अधिक समय से 01.35 मिनट तक	06	5	01.46 से अधिक समय से 01.50 मिनट मे	06
6	01.36 से अधिक समय से 01.40 मिनट तक	04	6	01.51 से अधिक समय से 01.55 मिनट मे	04
7	01.41 से अधिक समय से 01.45 मिनट तक	02	7	01.56 से अधिक समय से 02.00 मिनट में	02

क्रिकेट बॉल थ्रो

कालांश–05 अंक–10

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

पुरूष			महिला		
क0सं0	दूरी	अंक	क0सं0	दूरी	अंक
1	70 मीटर थ्रो	10	1	30 मीटर थ्रो	10
2	60 मीटर थ्रो	08	2	25 मीटर थ्रो	08
3	50 मीटर थ्रो	06	3	20 मीटर थ्रो	06
4	40 मीटर थ्रो	04	4	15 मीटर थ्रो	04
5	35 मीटर थ्रो	02	5	10 मीटर थ्रो	02

दण्ड (पुरूष) रस्सी कूद (महिला)

कालांश–05 अंक–10

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

पुरूष			महिला		
क0स0	विषय	टंक	क0स0	विषय	अंक
1	01 मिनट में 30 दण्ड	10	1	01 मिनट में 90 जम्प	10
2	01 मिनट में 25 दण्ड	8	2	01 मिनट में 80 जम्प	8
3	01 मिनट में 20 दण्ड	6	3	01 मिनट में 70 जम्प	6
4	01 मिनट में 15 दण्ड	4	4	01 मिनट में 60 जम्प	4
5	01 मिनट में 10 दण्ड	2	5	01 मिनट में 50 जम्प	2

पी0टी0 एवं ऐपरेटस वर्क

कालांश–60 **अंक–30**

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

पुरूष		**महिला**	
विषय	पूर्णांक	विषय	पूर्णांक
पी0टी0 एक्सरसाइज	08	पी0टी0 एक्सरसाइज	10
कमाण्ड लीडर शिप	08	कमाण्ड लीडर शिप	10
सामने लुढ़क	04	लम्बी कूद	05
पीछे लुढ़क	04	ऊँची कूद	05
रस्सा *	06		
योग	**30**	**योग**	**30**

रस्सा चढ़ने के आधार पर अंको का वर्गीकरण

पुरूष		**महिला**	
विषय	**पूर्णांक**	–	–
प्रथम श्रेणी चढ़ने पर	06	–	–
द्वितीय श्रेणी चढ़ने पर	05	–	–
तृतीय श्रेणी चढ़ने पर	04	–	–

नोटः–

- ❖ सिर, बाजू, धड़, पैर आदि से सम्बन्धित पी0टी0 एक्सरसाइज ए0पी0टी0सी0 सीतापुर से प्रकाशित पुस्तक के अनुसार करायी जायेगी।
- ❖ लम्बा घोडा, चौड़ा घोड़ा एवं वालबार्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा किन्तु मूल्यांकन नहीं होगा।
- ❖ महिला प्रशिक्षुओं को लम्बा घोडा, चौड़ा घोड़ा सम्बन्धी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा।

प्रश्नपत्र–द्वितीय

कवायद (ड्रिल)/पदाति प्रशिक्षण

कालांश–150 **अंक–150**

विषयवार कालांश एवं अंकों का निर्धारण

क0स0	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	टर्न आउट	–	10
2	स्क्वाड ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशिप (शस्त्र रहित)	45	40
3	शस्त्र ड्रिल /रायफल एक्सरसाइज	45	30
4	रैतिक ड्रिल,सम्मान गार्द व सोर्ड ड्रिल	20	15
5	गार्द माउंटिग	04	05
6	केन ड्रिल	07	05
7	हर्ष फायर एवं शोक कवायद	02	05
8	ई0ओ0डी0	02	05
9	बल्वा नियन्त्रण ड्रिल	10	15
10	टीयर स्मोक	05	10
11	अग्निशमन एवं बचाव ड्रिल	10	10
	योग	**150**	**150**

पदाति प्रशिक्षण हेतु विषयवस्तु का विवरण

स्क्वाड ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशिप (शस्त्र रहित)

कालांश–45 **अंक–40**

क0सं0	विषय	कालाँश
1	सावधान, विश्राम, आराम से	3
2	मुड़ना, आधा मुड़ना	2
3	सजना	2
4	तीन लाइन में फालइन होना	
5	गिनती करना	1
6	खुली लाइन, निकट लाइन	1
7	खड़े खड़े मुड़ना	1
8	विसर्जन, बाहर निकलना, साइजिंग	1
9	परेड पर फालइन होना कदमो की दूरी, समय	1
10	स्क्वाड में अन्तर से फालइन होना	2
11	तेज चाल में मार्च करना व रूकना	2
12	कदम आगे, कदम पीछे तथा कदम साइड में चलना	2
13	धीरी चाल में चलना व थम	2
14	घूमना, मुडना धीमी चाल में	1
15	धीमी चाल में कदम ताल व थम	1
16	तेज चाल व दौड़ चाल में कदम ताल व थम	2
17	तेज चाल व धीमी चाल में कदम बदलना	2
18	दौड चाल में चलना, कदम ताल व रूकना	1
19	धीमी चाल, तेज चाल और दौड़ चाल में आना	1
20	धीमी चाल में लाइन में मार्च करना, घूमना	1

21	थम कर दिशा बदलना, चलते चलते दिशा बदलना(धीमी चाल में)	2
22	थम कर दिशा बदलना, चलते चलते दिशा बदलना(तेज चाल में)	2
23	थम कर स्क्वाड बनाना, चलते चलते स्क्वाड बनाना (धीमी चाल में)	2
24	चलते हुए तेज चाल में स्क्वाड बनाना	1
25	सिंगल फाइल में मार्च करना व तीन लाइन बनाना	1
26	तीन लाइन से दो लाइन बनाना	1
27	दो लाइन से तीन लाइन बनाना	1
28	धीरी चाल में मार्च करना व मुड़ना	1
29	तेज चाल में चलना व मुड़ना	1
30	तेज चाल में घूमना व मुड़ना	1
31	थम कर सेल्यूट, पत्री के साथ सेल्यूट	1
32	दाहिने व बांए का सेल्यूट	1
33	दाहिने देख, बांए देख बिना टोपी व सादे वस्त्र में	1
	योग	**45**

शस्त्र सहित ड्रिल

कालांश–45 **अंक–30**

क0सं0	विषय	कालाँश
1	बाजू शस्त्र से कन्धे शस्त्र, कन्धे शस्त्र से बाजू शस्त्र	2
2	कन्धे शस्त्र से सलामी शस्त्र, सलामी शस्त्र से कन्धे शस्त्र	2
3	भूमि शस्त्र, उठा शस्त्र	1
4	कन्धे शस्त्र से बायें शस्त्र, बांए शस्त्र से कन्धे शस्त्र, बाजू शस्त्र से बांए शस्त्र बाए शस्त्र से बाजू शस्त्र	2
5	निरीक्षण को बांए शस्त्र, बोल्ट चला	1
6	बांए शस्त्र से जाँच शस्त्र, बोल्ट चला, जॉच शस्त्र से बाएं शस्त्र, जॉच शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
7	बाजू शस्त्र से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से बाजू शस्त्र, कन्धे शस्त्र से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से कन्धे शस्त्र	1
8	कन्धे शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से कन्धे शस्त्र	1
9	बाजू शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
10	कन्धे शस्त्र से बदल शस्त्र, तौल शस्त्र से बदल शस्त्र	1
11	सम्भाल शस्त्र से बदल शस्त्र	1
12	स्लिंग कसना व स्लिंग ढीली करना	1
13	कन्धे शस्त्र से तान शस्त्र, तान शस्त्र से कन्धे शस्त्र	2
14	बाजू शस्त्र से तान शस्त्र, तान शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
15	तान शस्त्र से, कन्धे शस्त्र से तथा बाजू शस्त्र से ऊँचा बायें शस्त्र	1
16	लटका शस्त्र, बगल शस्त्र	1
17	सावधान, विश्राम, आराम से, रायफल के साथ	1
18	मुड़ना व आधा मुड़ना रायफल के साथ	1
19	बाजू शस्त्र व कन्धें शस्त्र की दशा में सजना	1
20	सजना, बांये सज, दाहिने सज, मध्य सज	1
21	खड़े हुए बट सेल्यूट, सामने का सेल्यूट, चलते चलते सेल्यूट, पत्री के साथ सेल्यूट	2
22	रायफल के साथ चलते हुए दाहिने व बाएं का सेल्यूट	2
23	रायफल के साथ तेज चाल में मार्च	1
24	रायफल के साथ धीमी चाल में मार्च	1
25	धीमी चाल व तेज चाल में मुड़ना	1
26	रायफल के साथ मार्चिंग, धीमी चाल व तेज चाल में थम बनाना	1
27	धीमी चाल व तेज चाल में रायफल के साथ मुड़ना व घूमना	1

28	रायफल के साथ धीरी चाल व तेज चाल मार्च में छोटे व लम्बे कदम से मार्च करना	1
29	स्वस्थान, लाइन तोड़, लाइन बन	1
30	थम कर दिशा बदलना (धीमी चाल व तेज चाल में)	1
31	थम कर स्क्वाड बनाना, (धीमी चाल व तेज चाल में)	1
32	धीमी चाल, तेज चाल व दौड़ चाल में खुलना	1
33	रायफल के साथ सेल्यूट, पत्री के साथ सेल्यूट व दाहिने बाएं का सेल्यूट	1
34	सावधान से मार्च	1
35	शस्त्र के साथ तेज चाल में लम्बा कदम, छोटा कदम	1
36	स्क्वाड का मार्च करना, सिंगल फाइल बनाना व तीनों तीन बनाना	1
37	लाइन फारमेशन से फाइल में रायफल सहित खुलना तीनों तीन बनाना व लाइन फारमेशन बनाना	1
38	तीनों तीन से फाइल में रायफल के साथ खुलना, तीनों तीन बनाना व लाइन बनाना	1
39	शस्त्र के साथ स्क्वाड ड्रिल	1
	योग	**45**

रैतिक ड्रिल, सम्मान गार्द एवं सोर्ड ड्रिल

कालांश–20 **अंक–15**

क0सं0	विषय	कालांश
1	तलवार व उसके भागों का परिचय	01
2	सावधान निकाल किच व वापस किच	01
3	सावधान से विश्राम व वापस	02
4	तेज चलना, धीरे चलना व रूकना	02
5	खड़े–खड़े सेल्यूट	02
6	चलते–चलते सेल्यूट	02
7	रैतिक परेड व सम्मान गार्द का ज्ञान व कमाण्ड करने का अभ्यास	10
योग		**20**

गार्द माउंटिंग

कालांश–04 **अंक–05**

नोटः– पुलिस ड्रिल मैनुअल के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

केन ड्रिल

कालांश–07 **अंक–05**

नोटः– इसका प्रशिक्षण पुलिस ड्रिल मैनुअल के अनुसार दिया जायेगा।

हर्ष फायर एवं शोक कवायद

कालांश–02 **अंक–05**

नोटः– इसका प्रशिक्षण पुस्तिका के अनुसार किया जायेगा।

ई0ओ0डी0

कालांश–02 **अंक–05**

नोटः– पुलिस ड्रिल मैनुअल के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

बल्वा नियन्त्रण ड्रिल

कालांश–10 **अंक–15**

क0सं0	विषय	कालांश
1	बल्वा नियन्त्रण ड्रिल पर व्याख्यान व प्रदर्शन	1
2	निमंत्रण पार्टियों का बनाना व तैयारी	1
3	बल्वा नियंत्रण ड्रिल	2
4	कार्यवाही चारो तरफ, दाहिने, बांए व पीछे	1
5	विभिन्न फार्मेशन व वाहन से उतरने की ड्रिल	1
6	व्याख्यान/प्रदर्शन, रैपिड ऐक्शन फोर्स द्वारा	1
7	भीड़ नियन्त्रण उपकरण	1
8	अभ्यास	1
9	प्रदर्शन	1
योग		10

नोटः– इसका प्रशिक्षण ए0पी0टी0सी0 सीतापुर से प्रकाशित पुस्तिका के अनुसार दिया जायेगा।

टीयर स्मोक

कालांश–05 **अंक–10**

क0सं0	विषय	कालांश
1	परिचय, इतिहास, विशिष्ट गुण, कारतूसों के प्रकार व रेसपिरेटर	01
2	सेल्स व ग्रिनेड्स की संरचना, एम्यूनीशन्स को रखना,	01
3	टीयर स्मोक का टैक्टिकल(युक्तिपूर्ण) प्रयोग व चिली बम/स्टन ग्रिनेड, प्लास्टिक पैलेट्स प्राथमिक उपचार	01
4	गनड्रिल व ग्रिनेड फेकनें की ड्रिल	01
5	एम्यूनीशन्स का फेंकना व फायर करना	01

नोटः– इसका प्रशिक्षण ए0पी0टी0सी0 सीतापुर से प्रकाशित पुस्तिका के अनुसार दिया जायेगा।

अग्निशमन एवं बचाव ड्रिल

कालांश–10 **अंक–10**

नोटः 1–इसका प्रशिक्षण अग्निशमन विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण को बुलाकर दिलाया जायेगा।

2– वज्र वाहन एवं वाटर केनन का प्रदर्शन जनपद पुलिस लाइन के प्रशिक्षित दस्ते द्वारा एवं अग्निशमन के अधि0/कर्म0गण को बुलाकर कराया जायेगा।

प्रश्नपत्र–तृतीय

शस्त्र प्रशिक्षण रात्रि फायरिंग सहित

कालांश–150 **अंक–150**

परीक्षा हेतु अंकों का निर्धारण
वेपन्स थ्यौरी

कालांश–75 **पूर्णांक–75**

क्र0स0	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	5.56 एम0एम0 इन्सास	10	5
2	7.62 एमएम एसएलआर	10	5
3	9 एमएम कार्बाइन /स्टेन	10	10
4	एके– 47	05	10
5	9 एमएम पिस्टल/ ग्लॉक पिस्टल	08	10
6	.38 '' रिवाल्वर	05	10
7	.303 '' एलएमजी	08	10
8	जी0एफ0 रायफल	05	5
9	एच0ई0 36 ग्रिनेड	05	5
10	पी0एम0एफ0 एवं वी0एल0पी0	03	5
11	पम्प एक्शन गन (डेमो)	03	–
12	एमपी 5 गन (डेमो)	03	–
योग		**75**	**75**

नोटः क्रमांक 11 व 12 पर अंकित विषयों की परीक्षा नहीं कराई जायेगी।

शस्त्र फायरिंग

कालांश–75 **अंक–75**

क्र0स0	शस्त्र	अंक
1	इन्सास रायफल (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन ,मूविंग ,स्नैप ,रैपिड फायर)	10
2	7.62 एम.एम. एस.एल.आर. (ग्रुपिंग ,एप्लीकेशन ,मूविंग ,स्नैप रैपिड फायर)	10
3	9 एमएम कार्बाइन /स्टेन फायर	10
4	एके–47 (ग्रुपिंग ,एप्लीकेशन ,मूविंग ,स्नैप ,रैपिड फायर)	10
5	9 एमएम पिस्टल फायर	10
6	.38 '' रिवाल्वर फायर	10
7	रबर बुलेट फायरिंग	05
8	पी0एम0एफ0, वी0एल0पी0	05
9	डमी ग्रिनेड थ्रो	05
योग		**75**

5.56 एमएम इन्सास

कालांश–10 **अंक–05**

क0सं0	विषय	कालाँश
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार	01
2	खोलना, पुर्जों के नाम, जोड़ना	02
3	शिस्त लगाना	01
4	सफाई व रख रखाव	01
5	भरना व खाली करना	01
6	लेटकर पोजीशन लेना व शस्त्र पकड़ना	01
7	शिस्त लेना प्रथम– दूरी व फिंगर टारगेट	01
8	ट्रिगर नियन्त्रण	01
9	फायरिंग पोजीशन व एक गोली फायर करना	01
योग		**10**

7.62 एम0एम0 (एस0एल0आर0)

कालांश–10 **अंक–05**

क0सं0	विषय	कालांश
1	परिचय	01
2	खोलना, पुर्जों के नाम व जोड़ना	02
3	सफाई व रख रखाव	01
4	भरना व खाली करना, पकड़ना, लेटकर पोजीशन लेना साइट निर्धारण – ले जाने की दशाएं	02
5	शिस्त लेना, एक गोली फायर करना, मेकेनिजम व रूकावटें	02
6	साइट परिर्वतन, मूविंग टारगेट पर शिस्त लेना।	02
योग		**10**

9 एम0एम0 कारबाईन/स्टेन

कालांश–10 **अंक–10**

क0सं0	विषय	कालांश
1	परिचय, खोलना व जोड़ना	02
2	कार्बाईन व स्टेन में अन्तर	01
3	रख रखाव व सफाई	02
4	भरना व खाली करना	02
5	ले जाने की दशांए, शिस्त लेना– फायर पोजीशन	01
6	रूकावटें व तुरन्त कार्यवाही	02
योग		**10**

ए0के0–47

कालांश–05 **अंक–10**

क0सं0	विषय	कालांश
1	परिचय, खोलना सफाई करना व जोड़ना	01
2	भरना, खाली करना, फायरिंग पोजीशन, ले जाने की दशांए, फायरिंग	02
3	फायर, रूकावटें व त्वरित कार्यवाही	02
योग		**05**

9 एम0एम0 पिस्टल–(ब्राउनिंग एवं ग्लॉक)

कालांश–08 **अंक–10**

क्र0स0	विषय	कालांश
1	09 एम0एम0 पिस्टलः– परिचय, पिस्टल का निरीक्षण, सुरक्षा एहतियाती उपाय,खोलना,जोड़ना,पिस्टल निकालना व वापस रखना	02
2	देखभाल एवं सफाई, भरना एवं खाली करना, फायरिंग पोजीशन,मेकसेफ की कार्यवाही, एक गोली फायर करना,रूकावटे एवं त्वरित कार्यवाही	02
3	9 एम0एम0 (ग्लॉक पिस्टल)परिचय, खोलना, साफ करना, जोड़ना, कार्यवाही चेक करना, भरना व खाली करना	02
4	नीची तैयारी की दशा, शिस्त लेना, फायरिंग, रूकावटें व तुरन्त दूर करना, भिन्न भिन्न दशा से फायर	02
योग		**08**

.38'' रिवाल्वर

कालांश–05 **अंक–10**

क्र0स0	विषय	कालांश
1	परिचय, रिवाल्वर का निरीक्षण,रिवाल्वर निकालना एवं वापस रखना	03
2	देखभाल एवं सफाई, भरना एवं खाली करना,फायरिंग पोजीशन में फायरिंग करना	02

.303'' एल0एम0जी0

कालांश–08 **अंक–10**

क्र0स0	विषय	कालांश
1	परिचय, उत्पत्ति	02
2	निरीक्षण, खोलना जोड़ना, हिस्से–पुर्जो के नाम,	02
3	आम जानकारी, भर पोजिशन भरना, रेडी, फायर, रोक फायर	02
4	एलएमजी का खाली करना, मेकशेफ की कार्यवाही (हैंडलिंग)	02

जी0एफ0 रायफल

कालांश–05 **अंक–05**

क्र0सं0	विषय	कालांश
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार	01
	पुर्जों के नाम, खोलना, जोड़ना	
3	शिस्त लगाना	01
4	सफाई व रख रखाव	01
5	भरना व खाली करना	
6	पोजीशन लेना व शस्त्र पकड़ना	01
7	शिस्त लेना– दूरी व टारगेट का निर्धारण	

8	ट्रिगर नियन्त्रण	01
9	फायरिंग पोजीशन व फायर करना	
योग		**05**

एच0ई0 36 ग्रिनेड

कालांश–05 **अंक–05**

क्र0सं0	**विषय**	**कालांश**
1	परिचय	01
2	खोलना, पुर्जों के नाम एवं जोड़ना	
3	प्राइम करना	01
4	थ्रो करने की पोजीशन, थ्रो करना	01
5	डैमोलिशन सैट की जानकारी	01
6	ब्लाइंड ग्रिनेड को डैमोलिश करना	01
योग		**05**

पी0एम0एफ0 एवं वी0एल0पी0

कालांश–03 **अंक–05**

क्र0सं0	**विषय**	**कालांश**
1	परिचय	01
2	खोलना, पुर्जों के नाम एवं जोड़ना	
3	भरना व खाली करना	01
4	फायरिंग पोजीशन, थ्रो करना	01
5	फायर करना	
योग		**03**

- शस्त्र प्रशिक्षण में व्यावहारिक मामलों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये न कि तकनीकी विवरणों पर। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षु को शस्त्र हैंडलिंग व सही निशाने में दक्ष करना है।

  निम्नलिखित सत्र रात्रि फायरिंग में जोड़े जाएः–

रात्रि शस्त्र हैडलिंग	चार रात्रि
रात्रि फायरिंग	चार रात्रि

प्रश्नपत्र–चतुर्थ
फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिक्स (FC & TAC. Course)

कालांश–150 **अंक–150**

क्र0सं0	विषय	कालांश	अंक
1	फील्ड क्राफ्ट टैक्टि्क्स एण्ड जंगल ट्रेनिंग	70	40
2	अर्बन एरिया टैक्टि्क्स	35	20
3	कमाण्डो ट्रेनिंग	50	25
4	नक्सलवाद/आतंकवाद/दस्यु उन्मूलन	25	15
5	सैण्ड मॉडल ब्रिफिंग/मैप रीडिंग	50	25
6	रूट मार्च (फील्ड क्राफ्ट टैक्टि्क्स के अभ्यास सहित)	51	25
	योग	**281**	**150**

(1) फील्ड क्राफ्ट टैक्टि्क्स एण्ड जंगल ट्रेनिंग

कालांश–70 **अंक–40**

क्र0सं0	विषय	कालांश	अंक
1	फील्ड क्राफ्ट के टैक्टिकल शब्दों का ज्ञान/परिभाषायें	03	02
2	कमोफ्लेज एवं कंसीलमेंट	04	02
3	भूमि के प्रकार एवं भूमि का वर्णन	04	02
4	आड़ के प्रकार	04	02
5	देखभाल के तरीके	04	02
6	दूरी निर्धारित करने/अनुमान लगाने के तरीके	04	02
7	चीजें क्यों नजर आती हैं।	04	02
8	फील्ड संकेत	04	03
9	सैक्शन सरंचना	04	02
10	विभिन्न टारगेटों की पहचान व समझ	04	02
11	कैम्प स्थापित करना	05	02
12	घात/प्रतिघात एवं धावा (Ambush/anti ambush & Raid)	04	04
13	काम्बिंग अभियान (CASO)	06	04
14	आड़ एवं फायर	03	02
15	निगरानी	03	02
16	कार्डन एवं खोज निकालना/ढूढ़ना	06	03
17	सामरिक चालें (Tactical move & halting)	04	02
	योग	**70**	**40**

- फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टि्क्स, मैप रीडिंग एवं रूट मार्च का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रत्येक दशा में प्रशिक्षण संस्थान के निकटवर्ती जंगल में ही कराया जाये।

(2) अर्बन एरिया टैक्टिक्स

कालांश–35 **अंक–20**

क्र0सं0	विषय
1	अर्बन एरिया टैक्टिक्स से सम्बन्धित शस्त्र व अन्य उपकरणों का डेमो
2	भवन एवं कक्ष इन्टरवेंशन (Building and Room Intervention)
3	इन्टरवेंशन के समय शस्त्र की पोजिशन (Weapen position)
4	बन्धक को मुक्त कराना (Hostage Rescue)
5	रोड ब्लाक एवं वाहनों/व्यक्तियों की चैकिंग करना
6	मोबाइल चैक पोस्ट स्थापित करना

(3) कमाण्डो ट्रेनिंग

कालांश–50 **अंक–25**

क्र0सं0	विषय
1.	फिजीकल इफीसिएन्सी टेस्ट (PET)
2.	बैटल फिजीकल इन्डोरेन्स टेस्ट (BPET)
3.	काम्बैट फायरिंग (Combat firing)
4.	एक्सप्लोसिव हैण्डलिंग (Explosive handling)–IED Demo

- केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा कमाण्डो ट्रेनिंग कराई जा सकती है।

(4) आतंकवाद/नक्सलवाद/दस्यु उन्मूलन

कालांश–25 **अंक–15**

क्र0सं0	विषय
1.	विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा अपनाई गई टैक्टिक्स की जानकारी एवं प्रति उपाय करना
2.	नक्सलवादियों / दस्यु संगठनों द्वारा अपनाई गई टैक्टिक्स की जानकारी एवं प्रति उपाय करना

(5) सैण्ड मॉडल ब्रिफिंग/मैप रीडिंग

कालांश– 50 **अंक–25**

क्र0सं0	विषय	कालांश
1	मानचित्र का परिचय तथा मैप रीडिंग का उद्देश्य स्केल	05
2	रूढ़िवादी चिन्ह	03
3	कॉन्टूर्स की जानकारी	04
4	ग्रिड सन्दर्भ	03
5	दिशाएं (दिन व रात्रि)	03
6	प्रिज्मेटिक कम्पास	05
7	मानचित्र सेट करना एवं अपनी पोजीशन खोजना	05
8	परिभाषाएं	04
9	सैण्ड मॉडल का परिचय/ब्रीफिंग	08
10	जी0पी0एस0 के प्रयोग सहित नेवीगेशन	10
योग		**50**

(6) रूट मार्च

कालांश–51 **अंक–25**

क0 सं0	विषय	कालांश
1	रात्रि में देखने के उपकरणों का परिचय व कम्पास(फलकनुमा) सहित नाइट मार्च	07
2	05 किमी (रायफल सहित) आब्जर्वेशन स्किल टेस्ट, छद्म व छुपाव का प्रदर्शन	07
3	08 किमी (रायफल व भरे हुये हैवर सैक सहित) फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स की एक्सरसाइज व दूरी का अनुमान लगाने के अभ्यास सहित	07
4	10 किमी (रायफल सहित, दूरी का अनुमान लगाने का अभ्यास व मेमोरी स्केचिंग (नाइट फायरिंग)	07
5	12 किमी (रायफल सहित, फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स अभ्यास (नाइट रूट मार्च व पैट्रोलिंग)	07
6	15 किमी (रायफल सहित, फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स अभ्यास सेक्शन चांस एन्काउन्टर व काम्बिंग	07
7	20 किमी (रायफल सहित, फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स अभ्यास और युद्ध संचारण अभ्यास)	09
	योग	**51**

- रात्रि प्रशिक्षण शनिवार की रात्रि अथवा अवकाश से पूर्व की रात्रि में कराया जा सकता है।

प्रश्न पत्र–पंचम

यू0ए0सी0

कालांश–50 **अंक–50**

1. विभिन्न हमले– पंच, कोहनी स्ट्राइक्स, घुटने स्ट्राइक्स और लात
2. चोक से मुक्ति (खड़े दशा में)
3. चोक से मुक्ति (खड़े दशा में–पीछे की तरफ धक्का देने पर)
4. चोक से मुक्ति (खड़े दशा में–आगे की तरफ धक्का देने पर)
5. गर्दन पर रखे चाकू की धमकी से बचाव (अन्तर से) with variation
6. साइड से चाकू की धमकी से बचाव (हमलावर एक हाथ पकड़े है)
7. सिर पर चाकू के हमले से बचाव
8. चाकू के हमले से विभिन्न अंगों का बचाव
9. सामने से पिस्टल की धमकी से बचाव
10. पीछे से पिस्टल की धमकी से बचाव
11. आगे की तरफ फॉल (Break Fall Forward)
12. पीछे की तरफ फॉल (Break Fall Backward)
13. आगे लुढ़क
14. सामने से रायफल से बचाव
15. पीछे से रायफल से बचाव

प्रश्नपत्र–षष्टम्
योगासन

कालांश–90	पूर्णांक–50

नोटः–प्रशिक्षुओं को कॉमन योगा प्रोटोकाल/आयुष के अनुसार आसन/ प्राणायाम/ध्यान सिखाया जायेगा एवं उपरोक्त की परीक्षा करायी जायेंगी।

प्रश्नपत्र–सप्तम्
ड्राइविंग

कालांश–50 **अंक–50**

अ–यातायात नियन्त्रण ड्रिल

कालांश–15 **अंक–15**

क0सं0	विषय	अंक
1	ड्राइवर के संकेत	5
2	ट्रैफिक संकेत (हाथ द्वारा)	5
3	ट्रैफिक रडार	5
	योग	**15**

ब–मोटर ड्राइविंग (मोटरसाइकिल एवं जीप/जिप्सी)

कालांश–35 **अंक–35**

क0सं0	विषय	अंक
1	ड्राइविंग फारवर्ड	10
2	ड्राइविंग रिवर्स	10
3	दिये गये आकार में रिवर्स व फारवर्ड ड्राइविंग	10
4	एम0टी0 थ्योरी	05
	योग	**35**

नोटः– प्रयोगात्मक प्रशिक्षण पर अधिक महत्व दिया जायेगा।

प्रश्नपत्र–अष्टम्
तैराकी

कालांश–54 **अंक–40**

परीक्षा हेतु अंकों का निर्धारण

मिनट सेकेण्ड के अन्दर	पूर्णांक
50 मीटर फ्रीस्टाइल	
<=0.50	40
<=01 मिनट	38

<=01:10 मिनट	36
<=01:20 मिनट	34
<=01:30 मिनट	32
<=01:40 मिनट	30
<=01:50 मिनट	26
<=2.00	20
अपना समय	–

प्रश्नपत्र–नवम्
घुड़सवारी

कालांश–60 **अंक–40**

1. घोड़े के साथ सावधान, विश्राम
2. रकाब सहित व रकाब रहित घोड़े पर सवार होना व उतरना
3. घोड़े पर सवार होना व आगे बढ़ना
4. दुलकी चाल बिना रेजिंग, सही सहायता का इस्तेमाल
5. रकाब की फिटिंग, घोड़े पर चढ़ना उतरना व दुलकी (बिना सहायता)
6. दुलकी, मुड़ना, घेरे में सीधे में सवारी
7. जम्प (कूदों) से परिचय व अभ्यास
8. परीक्षा अभ्यास
9.

घुड़सवारी की अन्तिम परीक्षा में अंक देने का तरीका/मानक

क0सं0	गतिविधि	अंक
1	घोड़े पर चढ़ना/उतरना, अश्वशाला प्रबन्धन मौखिक प्रश्न	08
2	कदम चाल	08
3	दुलकी चाल	08
4	सरपट	08
5	जम्प	08

नोट– किसी भी चरण में सवार के गिरने पर पेनल्टी (–1) और सवार को आरम्भ स्थान से पुनः अवसर दिया जायेगा। प्रशिक्षु द्वारा हिस्से में आये निर्धारित घोड़े पर सवारी न करने पर 2 अंक काटे जायेंगे।

सन्दर्भ –

- ❖ घुड़सवारी पर ट्रेनिंग फिल्म
- ❖ घुड़सवारी व अश्वशाला प्रबन्धन पर पुस्तक।

नोटः– घुड़सवारी का प्रशिक्षण नजदीक जनपद में कराया जाय। उस दौरान के आउटडोर के कालांश सुबह/शाम करा लिये जायें तथा इण्डोर के समय प्रयोगात्मक कार्य करा लिया जाय।

प्रश्नपत्र–दशम्
बाधा कोर्स (बी0ओ0ए0सी0)

कालांश–40 **अंक–25**

पुरुष प्रशिक्षु 10 बाधांए (3.0मीटर दीवार सहित) बिना किसी सहयोग ★	अंक	महिला प्रशिक्षु 10 बाधांए (2.25मीटर दीवार सहित) सहयोग के साथ ★★	अंक
< = 90 सेकेण्ड	25	< = 110 सेकेण्ड	25
< = 95 सेकेण्ड	23	< = 115 सेकेण्ड	23
< = 100 सेकेण्ड	21	< = 120 सेकेण्ड	21
< = 105 सेकेण्ड	19	< = 125 सेकेण्ड	19
< = 110 सेकेण्ड	17	< = 130 सेकेण्ड	17
< = 115 सेकेण्ड	15	< =135 सेकेण्ड	15
<=120 सेकेण्ड	13	< =140सेकेण्ड	13
>=125 सेकेण्ड	12	>= 145 सेकेण्ड	12

★ यदि बहुत अधिक सहयोग लिया गया है, परीक्षक 0–1 अंक से दण्डित करेगा।

प्रश्नपत्र–एकादश
विस्फोटकों का ज्ञान

कालांश–30 **अंक–25**

विषय	कालांश
विस्फोटकों का परिचय एवं विस्फोटक का स्वभाव	02
विस्फोटक के प्रकार व पहचान (लेक्चर व डेमो)	02
डेटोनेटर, इसके प्रकार व पहचान (लेक्चर व डेमो)	03
विस्फोटक की पहचान करने में सावधानी व सुरक्षा	03
देशी बम्बों का परिचय और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (लेक्चर व डेमो)	02
कमाण्ड मेकेनिज्म (तार, रिमोट कन्ट्रोल, टाइमर, प्रेशर लाइट आदि) लेक्चर व डेमो	03
भूमि सुरंगों का परिचय	05
बमों की खोज व डिस्पोजल से पूर्व की कार्यवाही	05
विस्फोटक के बाद का परीक्षण– भौतिक साक्ष्य का विधि विज्ञान के दृष्टिकोण से एकत्रीकरण	05
योग	30

प्रश्नपत्र–द्वादश
वन मिनट ड्रिल

कालांश–20 **पूर्णांक–20**

- पी0टी0 ड्रेस बदल कर यूनिफार्म पहनना
- एक पैर पर खड़े होकर जूते बांधना
- भूतल से प्रथम तल पर मेडिसिन बॉल पहुॅचाना
- शस्त्रागार से सुरक्षित ढंग से शस्त्र निकालना व रखना
- गाड़ी की चैकिंग करना
- चीजों को याद रखना
- तत्काल गाढ़ाबन्दी करना
- बिना आवाज के सूचना पहुॅचाना
- अॅधेरे में मैग्ज़ीन भरना
- अॅधेरे में हेवरसेक पैक करना

खेलकूद / जिम

कालांश–80 **अंक–00**

नोटः– अधिकांशतः वह खेल खिलाये जायेगें जिसमें टीम में अधिक से अधिक प्रशिक्षु खेल सकें। जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैण्डबॉल, बॉलीवाल एवं क्रिकेट आदि।

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का व्यवहारिक प्रशिक्षण
(12 माह)

प्रथम् माह–

परिवीक्षाधीन उप निरीक्षक को ग्रामीण थाने में प्रधान लेखक के रूप में सम्बद्ध किया जाये। निम्न पर विशेष ध्यान दिया जायेः–

- डियूटी रोस्टर, रोजनामचा–आम का रखरखाव।
- थाने के अन्य अभिलेखों, नियत नक्शे।
- रिपोर्ट (रिटर्न्स) का कार्य।
- लेखा कार्य जिसमें स्टाफ का टी0ए0 बिल तैयार करना।
- पुलिस तथा सी0आई0डी0 गजट का उपयोग करना।
- शिकायती प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति एवं निस्तारण।
- प्रशिक्षु उप निरीक्षक को प्रातः कालीन परेड में शामिल होना चाहिए तथा अपने से नीचे पदस्तर के कर्मियों की किट का निरीक्षण तथा उनके ज्ञान चेक करने के लिए उनसे प्रश्न करने चाहिए।

द्वितीय माह–

परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षकों को ग्रामीण थाने में एक अन्य वरिष्ठ उप निरीक्षक के साथ सम्बद्ध किया जाये। निम्न पर विशेष ध्यान दिया जायेः–

- अपराध निरोध–निगरानी, अवांछनीय तत्वों के ठहरने के स्थान जैसे–होटल, धर्मशाला, सराय या अन्य सार्वजनिक स्थानों एवं बाजारों में चेकिंग करायी जाए।
- अपराध एवं अपराधियों से सम्बन्धित सूचनायें एकत्रित करने की विधि बतायी जाए।
- इन्हें भ्रमण पर अधिकाधिक ले जाया जाय।

तृतीय एवं चतुर्थ माह–

परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षकों को ग्रामीण थाने के थानाध्यक्ष के साथ सम्बद्ध किया जाये। निम्न पर विशेष ध्यान दिया जायेः–

- पंचायतनामा तथा कम से कम 6 विवेचनाओं के समय सहचर्य।
- उनको यह भी बताया जाए कि किस तरह से वैज्ञानिक परीक्षण के सूत्र खोजे एवं एकत्र किये जायें तथा स्वतंत्र रूप से केस डायरी कैसे लिखें।
- वे क्षेत्राधिकारी के साथ न्यूनतम 2 जाँच एवं विवेचना करें।
- क्षेत्राधिकारी के साथ न्यूनतम 1 निरीक्षण पर जायें।
- भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था एवं उनको तितर–बितर करने की व्यवस्था को देखें।
- उनको राजनीतिज्ञों, मीडिया, पंचायत सदस्यों, जन सामान्य, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कराकर आपसी सामंजस्य एवं युक्ति का विकास किया जाये।
- उनको जन सामान्य के साथ अच्छा व्यवहार के बारे में बतायें तथा आचार–व्यवहार की जानकारी दी जाये जो कि मानवीय व्यवस्था का हिस्सा है।
- उनको सामाजिक, विधिक जानकारी, पुलिस का जनता के साथ सामाजिक व्यवहार तथा रिपोर्ट लिखने की कला से अवगत कराया जाये।

नोट–

सम्भव हो तो प्रथम चार माह का प्रशिक्षण एक ही पुलिस थाने में दिया जाये।

पंचम् माह–

परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षकों को अभियोजन अधिकारी के संरक्षण में अभियोजन की जानकारी दी जाये। साथ ही उनको कार्यालय के कार्य की जानकारी, चालानों का विवेचन और उनकी संक्षिप्त रिपोर्ट बनाने की जानकारी दी जाये। साथ ही उनको पुलिस अभियोजन अधिकारी के साथसत्र न्यायिक केस की

शुरू से आखिर तक की कार्यवाहीदिखायी जाये(जानकारी दी जाये)। जिसमें गवाहों का Cross परीक्षण, अभियोजन पक्ष के वकील तथा बचाव पक्ष के वकील की दलीलों के बारे में समझाया जाये और उनको जेल Manualतथा कैदियों को पहचानने इत्यादि के बारे में तथा उससे सम्बन्धित रिपोर्ट/Brief बनाने की जानकारी दी जाये।

षष्ठम् माह–

परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षकों को जिले की विशेष इकाई, अपराध शाखा, एच0ओ0बी0 शाखा में सम्बद्ध रखा जाये जिसमें उनको जिले के अपराध, अन्तर जिला अपराध, अन्तर प्रान्तीय अपराध के बारे में बताया जाये।

सप्तम् एवं अष्टम् माह–

परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षकों को जनपद के एक औसत थाने पर कनिष्ठ उपनिरीक्षक और अतिरिक्त विवेचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाये, जहाँ पर वे विविध अपराधों की विवेचना कर सकें तथा थाने के विविध क्रिया–कलापों में प्रतिभाग कर सकें।

नवम् एवं दशम् माह–

परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षकों को जनपद के शहरी थाने में जहाँ पर अपराध की बहुलता हो वहाँ पर अतिरिक्त विवेचनाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाये। जहाँ पर प्रशिक्षु रात्रि गश्त, बीट कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण, यातायात, सर्राफा बाजार, कानून–व्यवस्था से सम्बन्धित मामले, औद्यौगिक समस्यायें, सफेदपोश अपराध, स्मगलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षु जहाँ–जहाँ सुधार गृह मौजूद हों वहाँ का भ्रमण करेंगे।

ग्यारहवाँ माह–

परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षकों को पुलिस अधीक्षक के साथ सम्बद्ध किया जाये। जहाँ पुलिस अधीक्षक के वाचक के रूप में कार्य करेंगे। इस दौरान प्रशिक्षु उपनिरीक्षक प्रातः कालीन परेड में शामिल होंगे तथा रिजर्व पुलिस लाइन के कार्यों को सीखेंगे।

बारहवाँ माह–

परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षकों को किसी एक पी0ए0सी0 वाहिनी के साथ सम्बद्ध किया जाये। जहाँ पर प्रशिक्षु उपनिरीक्षक भीड़ नियंत्रण/ भीड़ का बिखराव, दस्यु उन्मूलन कार्यवाही तथा हिंसा युक्त आन्दोलनों में आर्म्स पुलिस की कार्य प्रणाली के बारे में सीखेंगे। इस दौरान प्रशिक्षु आर्म्स पुलिस द्वारा प्रयोग किये शस्त्रों को हैन्डिलिंग करना तथा फील्ड क्राफ्ट की जानकारी भी सीखेंगे। कानून–व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए प्रशिक्षु उपनिरीक्षक 01 सप्ताह से अनधिक समय के लिए किसी आर्म्स पुलिस पार्टी के साथ सम्बद्व किये जायेंगे।

अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण हेतु संस्तुत पाठ्य पुस्तकें

क0सं0	पुस्तक का नाम	प्रकाशक
1	भारतीय दण्डसंहिता	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
2	दण्ड प्रक्रिया संहिता	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
3	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
4	केन्द्रीय विविध अधिनियम भाग–1	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
5	केन्द्रीय विविध अधिनियम भाग–2	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
6	उत्तर प्रदेश विविध अधिनियम	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
7	मादक द्रव्य संहिता	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
8	ए हैण्ड बुक फार पुलिस फार्म	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
9	भूलेख एवं भू–सर्वेक्षण	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
10	जिला अपराध अभिलेख पुस्तिका	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
11	अश्व एवं अश्वशाला प्रबन्ध	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
12	न्यायालयिक विज्ञान एवं अपराध अन्वेषण	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
13	घटना स्थल प्रबन्धन प्रोटोकाल	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
14	सूचना प्रोद्योगि की एवं साइबर क्राइम	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
15	पुलिस विज्ञान प्रथम	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद
16	पुलिस विज्ञान द्वितीय	डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद

बाह्य प्रशिक्षण हेतु संस्तुत पाठ्य पुस्तकें

क0सं0	पुस्तक का नाम	प्रकाशक
1	रायफल तथा बैनेट	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
2	सेल्फ लोडिंग रायफल	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
3	अश्रुगैस ड्रिल तथा बलवा ड्रिल	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
4	दस्यु उन्मूलन तथा काउन्टर इंसरजेंसी अभियान	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
5	प्रश्नोत्तरी	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
6	शस्त्र प्रशिक्षण भाग–1	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
7	शस्त्र प्रशिक्षण भाग–2	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
8	फील्ड क्राफ्ट एवं युक्ति	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
9	नायब पथ प्रदर्शक	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
10	आरमोरर हैंडबुक	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
11	विधान	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
12	शस्त्र पुलिस विज्ञान	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
13	प्रशिक्षण के सिद्धान्त	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
14	जल पुलिस तथा आपदा प्रबन्धन	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
15	शारीरिक प्रशिक्षण	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
16	पुलिस ड्रिल मैनुअल	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
17	पुलिस बैंड एण्ड बिगुल	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
18	यातायात प्रबन्धन	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
19	सशस्त्र पुलिस प्रशासन एवं प्रबन्धन	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर
20	गार्द तथा एस्कोर्ट के नियम	सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर

(देवेन्द्र भूषण)
अपर पुलिस अधीक्षक
पी0टी0सी0
मुरादाबाद

(प्रताप गोपेन्द्र)
पुलिस अधीक्षक
पी0टी0एस0
मुरादाबाद

(पूनम श्रीवास्तव)
पुलिस अधीक्षक
उ0प्र0 पुलिस अकादमी
मुरादाबाद

(एस0के0 गुप्ता)
अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक
उ0प्र0 पुलिस अकादमी
मुरादाबाद।